

केवल भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के प्रयोगार्थ

कपट और भ्रष्टाचार के मामलों में लेखापरीक्षा
की भूमिका पर स्थायी आदेश

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

2010

केवल भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के प्रयोगार्थ

कपट और भ्रष्टाचार के मामलों में लेखापरीक्षा की भूमिका पर स्थायी आदेश

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

संख्या 126/ऑडिट (ए.पी)/1-2004

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का कार्यालय

10, बहादुर शाह जफर मार्ग,

नई दिल्ली -110002

6 सितम्बर, 2006

सेवा में,

सभी महानिदेशक (लेखापरीक्षा)/प्रधान महालेखाकार, (लेखापरीक्षा)/
प्रधान निदेशक (लेखापरीक्षा)/महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
(डाक सूची के अनुसार)।

महोदय/महोदया,

विषय: कपट और भ्रष्टाचार के मामलों में लेखापरीक्षा की भूमिका पर स्थायी आदेश।

प्रस्तावना :

जब भी कपट एवं भ्रष्टाचार लेखापरीक्षा (उप) उद्देश्यों का एक भाग बनता है तो कपट और भ्रष्टाचार का पता लगाना और उसको रोकने के लिए सिस्टम की जांच अब से सभी नियमितता लेखापरीक्षाओं और निष्पादन लेखापरीक्षाओं का एक अभिन्न अंग होगा। इस संसूचना के अनुलग्नक में स्थायी आदेश इस विषय पर वर्तमान अनुदेशों के अधिक्रमण में जारी किया गया है। जरूरत पड़ने पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। ध्यान में रखी जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नवत हैं:

(1) भ्रष्टाचार और कपट सामान्यतया एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। वास्तव में भ्रष्टाचार एक विशेष प्रकार का कपट है और बहुत से अधिकार क्षेत्रों में इसी रूप में समझा जाता है। लेखापरीक्षा दल/अधिकारियों को इन दोनों के बीच सह-संबन्ध के साथ-साथ इनमें जटिल भेद के

बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अनुलग्नक के परिशिष्ट -क में ऐसे कपट और भ्रष्टाचार के कुछ (अपूर्ण) निदर्शी प्रकार दिए गए हैं जो लेखापरीक्षा दल के सामने आ सकते हैं।

कपट संबंधी जांच

(2) कपट की जांच सामान्य लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं का एक भाग होती है। कपट का एक विधिक (आपराधिक) संकेतार्थ होता है। लेखापरीक्षा दल /अधिकारी ऐसा विधिक अवधारण नहीं करते हैं कि क्या कपट वास्तविक रूप से हुआ है। अतः लेखापरीक्षा दल /अधिकारी लाल पताका(एक संकेत कि मदों की आगे संवीक्षा आवश्यक होगी) लगा सकते हैं जिसके लिए उपयुक्त अभिकरणों द्वारा आगे अन्वेषण आवश्यक है। जब प्रमाण स्पष्ट है, तब लेखापरीक्षा दल/अधिकारी किसी संदिग्ध कपट के बारे में किसी परिणाम पर पहुंच सकते हैं और इसे अपने निष्कर्षों में शामिल कर सकते हैं।

प्रबंधन और लेखापरीक्षा की संबंधित जिम्मेदारियां

(3) कपट और त्रुटि रोकने और पता लगाने की जिम्मेदारी मुख्यतः कपट की जांच के लिए प्रचार की गई लेखांकन और नियंत्रण प्रणालियों के क्रियान्वयन और निरन्तर परिचालन के माध्यम से संपरीक्षित संस्था के प्रबंधन की होती है। तथापि लेखापरीक्षा को मौजूदा प्रणालियों और सक्षमता की उपयुक्तता का मूल्यांकन और उस पर रिपोर्ट अवश्य करनी चाहिए जिसके साथ प्रबंधन ने कपट और भ्रष्टाचार को पकड़ने और रोकने के संबंध में प्रतिक्रिया और अनुवर्ती/निवारक उपायों के संबंध में आपकी जिम्मेदारी पूरी की है।

(4) वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा दल/अधिकारियों के लिए दो प्रकार के साभिप्राय मिथ्याकथन सुसंगत होते हैं, अर्थात् कपट पूर्ण वित्तीय प्रतिवेदन (रिपोर्ट) से निकलने वाले मिथ्या विवरण और आस्तियों के युर्विनियोजन के कारण दिए जाने वाले मिथ्या विवरण वैसा ही तर्क निष्पादन लेखापरीक्षाओं के मामले में लागू होता है। निष्पादन लेखापरीक्षाओं में, मूल विषय और विषयों /उप विषयों का चयन करते समय कपट और भ्रष्टाचार की दोष पूर्णता पर सम्यक विचार किया जाना चाहिए।

व्यावसायिक संदेहवाद

(5) संपूर्ण लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा दलों/अधिकारियों में व्यावसायिक संदेहवाद की एक मनोवृत्ति (एक ऐसी मनोवृत्ति जिसमें प्रश्न करने वाला दिमाग और लेखापरीक्षागत प्रमाण का एक आलोचनात्मक निर्धारण शामिल रहता है) सम्पूर्ण लेखापरीक्षा में होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा के नियोजन की अवस्था में कपट की जानकारी

(6) क्षेत्रीय कार्यालयों को स्वतंत्र जोखिम निर्धारण करना चाहिए और तदनुसार अपने लेखापरीक्षा नियोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। कपट और भ्रष्टाचार के संबंध में लेखापरीक्षागत योजनाएं उच्च जोखिम क्षेत्रों पर संकेन्द्रित होनी चाहिए। सामान्य उच्च जोखिम के कुछ (निदर्शी) क्षेत्र सेवा/अधिप्राप्ति, वस्तुसूची और आस्ति प्रबंधन के अनुबंध, मंजूरी, स्वीकृति, निष्पादन सूचना, राजस्व प्राप्ति, रोकड़ प्रबंधन, सामान्य व्यय, अनुदान, वित्तीय विवरण, परिचालन सूचना, कंप्यूटरीकृत पर्यावरण, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण और सार्वजनिक अंतरापृष्ठ से संबद्ध अन्य क्षेत्र हैं।

(7) लेखापरीक्षा की योजना बनाते समय, क्षेत्र के महालेखाकारों इत्यादि को ऐसे जोखिम का आकलन करना चाहिए जो कपट वित्तीय विवरणों को महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण अथवा महत्वपूर्ण लेन देनों का अभिलेख अंतर्विष्ट रखने का कारण बन सकता है। जोखिम प्रबंधन के आधार पर महालेखाकारों को लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को विकसित और लेखापरीक्षा की प्रक्रियाएं तैयार करनी चाहिए जिससे कि कपट और भ्रष्टाचार से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण मिथ्या कथन और अनियमितताओं का पता लगाने और उनका उपयुक्त मूल्यांकन किया जा सके।

लेखापरीक्षा की निष्पादन अवस्था में कपट के बारे में सतर्कता

(8) प्रत्येक लेखापरीक्षा के प्रारम्भ में कपट और भ्रष्टाचार की जानकारी पता लगाने तथा निवारण नीति और (पिछली लेखापरीक्षा के समय से देखे गए कपट और भ्रष्टाचार के उदाहरणों और ऐसे उदाहरणों पर की गई कार्रवाई जिसमें आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को समर्थ बनाना भी शामिल है के सहित) संबंधित माहौल के बारे में जानकारी संपरीक्षित संस्था के प्रबंधन से ली जानी चाहिए।

(9) लेखापरीक्षागत कार्य के दौरान लेखापरीक्षा दलों/ अधिकारियों को सतर्क रहना चाहिए और यदि उनके सामने संभव कपट संकेतक आते हैं, तब उन्हें स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। कुछ निदर्शी कपट संकेतक (लाल पताका क्षेत्र) अनुलग्नक के परिशिष्ट -ख में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षागत साक्ष्य और प्रलेखन

(10) ऐसा कोई संकेत कि एक अनियमितता, अवैध कृत्य, कपट अथवा त्रुटि हो सकती है, जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव लेखापरीक्षा के निष्कर्ष/सम्मति पर हो सकता है ऐसे निष्कर्ष /सम्मति को लेखापरीक्षादलों/अधिकारियों के लिए ऐसे संदहों की पुष्टि करने अथवा दूर करने हेतु कार्य विधि का विस्तार करने का कारण बनाना चाहिए। अपनाई जाने वाली निदर्शी प्रक्रियाओं के बारे

में अनुदेश अनुलग्नक में दिए गए हैं। यदि अनियमितताओं का लेखा पर महत्वपूर्ण प्रभाव था तब लेखापरीक्षा की राय में उपयुक्त प्रतिवेदन और अर्हता का औचित्य सिद्ध किया जा सकता है। लेखापरीक्षा को भी प्रबंधन के लिए नियंत्रण प्रक्रियाओं में सुधार की सिफारिश करनी चाहिए।

(11) सूचना प्रौद्योगिकीगत कपट लेखापरीक्षा के लिए चिंता का क्षेत्र है। कंप्यूटर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए सतर्क नियोजन और निष्पादन आवश्यक होता है। लेखापरीक्षा दलों/अधिकारियों को यह जांच करनी चाहिए कि क्या कंप्यूटर साक्ष्य प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए यहां समुचित नियंत्रण (मौजूद) हैं।

(12) लेखापरीक्षा दलों/अधिकारियों को सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआरएस) 2005 के नियम 29, 33, 34, 37 एवं 38 के उपबंधों के अनुपालन की जांच करनी चाहिए। (अनुलग्नक का परिशिष्ट-ग)।

(13) लेखापरीक्षा दलों/ अधिकारियों को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि प्राप्त किया गया लेखापरीक्षागत साक्ष्य जांच के लिए केवल आगे बढ़ाया जाने वाला (वादी) हो सकता है, निर्णायक नहीं। संदिग्ध अथवा अनुमानित कपट अथवा भ्रष्टाचार के सभी मामलों को प्रतिवेदित करते समय उन्हें कपट अथवा भ्रष्टाचार की विद्यमानता के बारे में कोई निर्णय नहीं करना/लेना चाहिए। साक्ष्य से यह भी सिद्ध होना चाहिए कि लेखापरीक्षादलों/अधिकारियों ने अपने प्रकार्य उपयुक्त सावधानी और सम्यक कर्मिष्ठता से पूरे किए हैं।

प्रतिवेदन (रिपोर्ट) और अनुवर्ती कार्रवाई

(14) संदिग्ध कपट /भ्रष्टाचार के व्यक्तिगत मामलों की रिपोर्ट प्रथमतः गुप अधिकारियों के अनुमोदन से संबंधित नियंत्रण अधिकारी को, गोपनीय रूप से भेजी जानी चाहिए। अधिक गम्भीर मामले भी गोपनीय रूप से वहां संबंधित प्रशासन विभागों (जहां नियंत्रण अधिकारी नहीं हैं) के सचिवों को और केन्द्र/राज्य के सतर्कता आयोग लोकायुक्त इत्यादि जांच प्राधिकारियों को अनेकसी में उपदर्शित ढंग से यथा लागू, महालेखाकार के हस्ताक्षरों अथवा उसके अनुमोदन से प्रतिवेदित किए जाने चाहिए।

(15) संदिग्ध/अनुमानित कपट और भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की विशिष्टता विशेष रूप से संबंधित निरीक्षण रिपोर्टें लेखापरीक्षा के नोटस इत्यादि में और लेखापरीक्षा की रिपोर्टों में भी उल्लिखित होनी चाहिए। ऐसे सभी मामले स्पष्ट अक्षरों में मुद्रित किए जाने चाहिए।

(16) लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बांड प्रति मुख्यालयों को अग्रेषित करते समय महालेखाकार को अग्रेषण पत्र में कपट और भ्रष्टाचार के रिपोर्ट में शामिल की संख्या संबंधित अनुच्छेदों के धन

के मूल्य के साथ उपदर्शित करनी चाहिए। बांड प्रति से संबंधित फाइल प्रस्तुत करने के नोट में रिपोर्ट में संदिग्ध/अनुमानित कपट और भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या संबंधित अनुच्छेदों के धन के मूल्य के साथ विशिष्टता बताई जानी चाहिए।

(17) मुख्य मंत्रियों को वार्षिक लेखापरीक्षोत्तर रिपोर्ट के पत्र के प्रारूप में संदिग्ध कपट और भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों का संक्षिप्त उल्लेख वहां होना चाहिए, जहां ऐसे मामले लेखापरीक्षागत रिपोर्टों और क्षेत्रीय महालेखाकारों इत्यादि द्वारा कपट और भ्रष्टाचार से संबंधित अनुच्छेदों को मॉनीटर करने के लिए मौजूदा सिस्टम में सामने आते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी मामलों पर बांड प्रति के अनुमोदनोपरान्त तत्काल केन्द्र और राज्य सरकारों में समुचित प्राधिकारियों के साथ अर्थात् केन्द्र/राज्य सतर्कता आयोग इत्यादि के साथ एक अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में बातचीत की जानी चाहिए। यदि ऐसे मामले पहले महालेखाकार द्वारा प्रतिवेदित किए गए हैं, तब उनके लिए इस अतिरिक्त सूचना के साथ संदर्भ आकर्षित किया जा सकता है कि ये मामले संसद/विधान मंडल को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जा चुके हैं।

विविध

(18) महालेखाकार लेखापरीक्षा दलों/अधिकारियों से एक ज्ञापन/आश्वासन का प्रमाणपत्र प्रदान करने की अपेक्षा कर सकता है जो अन्यो के साथ-साथ कपट और भ्रष्टाचार से संबंधित विषय की जांच में शामिल किया जाए।

(19) महालेखाकारों को विनिर्दिष्ट क्षेत्रों अर्थात् स्वास्थ्य, शिक्षा निर्माण कार्य इत्यादि से संबंधित संस्थाओं की लेखापरीक्षा में कपट और भ्रष्टाचार की लेखापरीक्षार्थ क्षेत्र विनिर्दिष्ट दिशानिर्देश/जांच सूचियां ऐसी लेखापरीक्षाओं में नियोजित क्षेत्र कर्मचारी वर्ग के मार्गदर्शनार्थ तैयार करनी चाहिए और ऐसे दिशा निर्देशों/जांच सूचियों की एक प्रति महानिदेशक (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत करनी चाहिए।

(20) क्षेत्रीय कार्यालयों को उनके द्वारा देखे गए महत्वपूर्ण कपट और भ्रष्टाचार के मामलों पर अर्ध वार्षिक रिपोर्ट मुख्यालयों के कार्यालय को अथवा लागू की गई पुर्नगठित प्रबंधन सूचना प्रणाली के जरिए प्रस्तुत करनी चाहिए।

भवदीय,

हस्ता/-

(अजंता दयालन)
महानिदेशक (लेखापरीक्षा)

संलग्न: यथोपरि

सं. 127/आडिट (एपी)/1-2004, 6 सितम्बर, 2006

प्रति

मुख्यालय के कार्यालयों में सभी अधिकारी।

हस्ता/-
(अजंता दयालन)
महानिदेशक (लेखापरीक्षा)

कपट और भ्रष्टाचार के मामलों में लेखापरीक्षा की भूमिका पर स्थायी आदेश के
लिए अनुलग्नक

विषय वस्तु

क्रम सं.	मद	पृष्ठ
1	प्रस्तावना	12
2	कपट की जांच।	12
3	कपट की विशेषताएं	12
	तात्त्विकता का महत्व	15
4	भ्रष्टाचार की विशेषताएं	15
5	कपट और भ्रष्टाचार के बीच संबंध	17
6	कपट और भ्रष्टाचार के प्रकार	18
7	प्रबंधन और लेखापरीक्षण की संबंधित जिम्मेदारियां	18
	प्रबंधन की जिम्मेदारियां	18
	लेखापरीक्षा की जिम्मेदारियां	19
8	वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में कपट पर सोच विचार	20
9	निष्पादन लेखापरीक्षाओं में कपट पर सोच विचार	21
10	प्राप्ति की लेखापरीक्षा में कपट पर सोच विचार	21
11	विश्व बैंक और बाह्य रूप से सहायता प्राप्त अन्य परियोजनाएं की	22

	लेखापरीक्षा में कपट पर सोच विचार	
12	व्यावसायिक संदेहवाद	22
13	लेखापरीक्षा की नियोजन अवस्था में कपट के बारे में जागरूकता	22
	जोखिम निर्धारण	22
	उन क्षेत्रों की पहचान करना जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।	
14	लेखापरीक्षा अवधि में कपट के बारे में सतर्कता	25
	लेखापरीक्षा के दौरान सतर्कता	25
	कपट के संकेतक	26
	संपरीक्षित संख्या के प्रबंधन से मांगी जाने वाली जानकारी	26
15	लेखापरीक्षागत साक्ष्य	27
	साक्ष्य की प्रकृति	27
	कुछ निदर्शी जांच	27
	कपट विशेष संबंधी आंतरिक नियंत्रण	29
	लेखापरीक्षा का पहुँच मार्ग	29
	कम्प्यूटरगत साक्ष्य	31
	सामान्य वित्तीय नियमों के उपबंधों के अनुपालन	32
16	सूचना प्रौद्योगिकी कपट ।	33
	सूचना प्रौद्योगिकी कपट की प्रकृति	33
	सूचना प्रौद्योगिकीगत कपट के संबंध में लेखापरीक्षा की भूमिका	34
17	प्रलेखन	35
18	पर्यवेक्षण एवं समीक्षा	36

19	प्रतिवेदन	36
	प्रारम्भिक प्रतिवेदन	36
	वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा राय की अर्हता	37
	कपट और भ्रष्टाचार से संबंधित प्रिटिंग मामले	38
	जांच (करने वाले) अभिकरणों को प्रतिवेदन	38
	मुख्य मंत्री को लेखापरीक्षोत्तर रिपोर्ट का पत्र	39
20	अनुवर्ती कार्रवाई	40
21	अतिरिक्त अनुदेश	40
	जापन/आश्वासन का प्रमाण-पत्र लेखापरीक्षा पक्षकार से प्राप्त किया जाएगा	40
	आंकडा आधार (डाटाबेस)	41
	आपत्ति बही	41
	कार्य कुशलता में वृद्धि	41
	क्षेत्र विनिर्दिष्ट दिशानिर्देश/जांच सूचियां तैयार करना	41
	मुख्यालयों को प्रतिवेदन	42
	गबन और हानियों पर रिपोर्टों से संबंधित वर्तमान उपबंधों का जारी रहना	42
	परिशिष्ट-क: माल और सेवाओं के लिए अनुबंध करने में निदर्शी कपट और भ्रष्टाचार	43-44
	परिशिष्ट-ख: संभव कपट और भ्रष्टाचार के लिए कुछ (लालपताकाएं का) संकेतन (निदर्शी)	45-47
	परिशिष्ट-ग: सामान्य वित्तीय नियम, 2005 के उपबंधों से उद्धरण।	48-53

1. प्रस्तावना

1.1 कपट और भ्रष्टाचार को पकड़ने और रोकने के लिए सिस्टम की जांच सभी नियमितता की लेखापरीक्षाओं का और निष्पादन लेखापरीक्षाओं की भी तब एक अभिन्न अंग होगी, जब यह लेखापरीक्षा के (उप) उद्देश्यों में से एक बन जाती है। वर्तमान स्थायी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है। जब और जैसे ही आवश्यकता होती है विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

1.2 वर्तमान स्थायी आदेश में अंतर्विष्ट उपबंध इस विषय पर वर्तमान अनुदेशों के अधिक्रमण में हैं।

1.3 इस स्थायी आदेश में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'महालेखाकार' में लेखापरीक्षा का महानिदेशक, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा), महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और लेखापरीक्षा का प्रधान निदेशक शामिल है।

1.4 'लेखापरीक्षक' और 'लेखा कार्मिक' अभिव्यक्तियों में पदाधिकारियों के पदनाम पर ध्यान दिए बिना लेखापरीक्षा के कार्य में लगे सभी पदाधिकारी शामिल हैं।

2. कपट की जांच

कपट परीक्षण (जांच) सामान्य लेखापरीक्षण क्रियाविधियों का एक भाग है और इसमें निम्न लिखित शामिल है-

- परिस्थितियों, नियंत्रण में खामियों, रिकार्ड रखने में अपर्याप्तताओं, त्रुटियों और अपसामान्य लेनदेनों अथवा परिणमों के लिए सतर्क रहना, जो कपट, भ्रष्टाचार, अनुचित व्यय अथवा सत्यनिष्ठा के अभाव के निर्देशक हो सकते हैं; और
- कपट के लिए प्रभावी उच्च जोखिम संकेतक तैयार करके कपट और भ्रष्टाचार संभावित क्षेत्रों परिचालनों पर लेखापरीक्षण रणनीति पर ध्यान केन्द्रित करना।

3. कपट की विशेषताएं

3.1 कपट का त्रुटि से प्रभेद किया जाना चाहिए। कपट और त्रुटि के बीच प्रभेद करने वाला कारक है कि क्या अंतर्निहित कार्रवाई सभिप्राय है अथवा बिना मंशा के । उदाहरणार्थ निम्नलिखित कार्रवाईयों से त्रुटि बनती है और कपट नहीं।

- जिस आंकड़े से वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं उसे एकत्रित अथवा संसाधित करने में गलती;
- असावधानी अथवा तथ्यों की गलत व्याख्या से उत्पन्न एक गलत लेखांकन अनुमान और
- मापन, अभिज्ञान, वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण अथवा प्रकटन से संबंधित सिद्धान्तों के अनुप्रयोग में कोई गलती।

3.2 कपट का अर्थ और प्रकृति निम्नलिखित परिभाषाओं को निर्दिष्ट करके समझी जा सकती है

- कपट प्रबंधन में से एक अथवा अधिक उन व्यक्तियों द्वारा सभिप्राय किया गया कोई कृत्य होता है, जिन पर कोई अनुचित अथवा अवैध लाभ¹ प्राप्त करने के लिए छल कपट का प्रयोग करने से संबद्ध अभिशासन कर्मचारी वर्ग अथवा तीसरे पक्षकारों के साथ दोषारोपित किया गया है।
- कपट से तथ्यों का और/अथवा अनुचित अथवा अवैध वित्तीय लाभ² प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी का संज्ञान मिथ्या निरूपण सम्बद्ध है।

3.3 प्रबंधन के एक अथवा अधिक सदस्यों अथवा उनसे जिन्हें अभिशासन के साथ दोषारोपित किया गया है, से कपट यथा “प्रबंधन कपट” निर्दिष्ट किया जाता है। केवल संस्था के कर्मचारीवर्ग से सम्बद्ध कपट यथा “कर्मचारी कपट” निर्दिष्ट किया जाता है। दोनों में से प्रत्येक मामले में संपरीक्षित संस्था के भीतर अथवा संपरीक्षित संस्था से बाहर तीसरे पक्षकारों के साथ संधर्ष हो सकता है।

3.4 कपट का एक विधिक (आपराधिक) संकेतार्थ होता है। लेखापरीक्षक ऐसे विधिक अवधारण नहीं करते हैं कि क्या कपट वास्तविक रूप से हुआ है। वे संदिग्ध अथवा अनुमानित कपट की रिपोर्ट कर सकते हैं।

¹ आईएसए 240 (आईएफएसी)

² एसोसाई।

3.5 किसी कृत्य को यथा 'कपट' कहने से पूर्व पर्याप्त सावधानी का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। किसी भी कृत्य को कपट के क्षेत्र के भीतर आने के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है-

- एक दूसरे के साथ संघट्टन में कार्यरत एक अथवा अधिक व्यक्तियों की ओर से साभिप्राय कृत्य है;
- कृत्य का उद्देश्य इस विषय में वर्तमान कानून नियमों और दिशानिर्देशों के उल्लंघन में अवैध लाभ प्राप्त करना अथवा देना है;
- अवैध लाभ प्राप्त करने का आशय संघट्टन और उद्देश्य को उस समय मौजूद रहना पड़ेगा जब कोई कृत्य विशेष किया जाता है। नेक नीयती से किया गया कोई कृत्य जो घटनाओं के पश्चातवर्ती क्रम में गलत अथवा गलती पर आधारित सिद्ध होगा यह कपट नहीं है;
- किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के किसी समूह के लिए लाभ अथवा सुविधाएं वास्तविक (मूर्त) होगी न कि काल्पनिक अथवा अनुमानित और
- सामान्यतया: ऐसा कोई भी कृत्य राजकोष को हानि पहुंचाएगा अथवा जनहित के विरुद्ध होगा।

3.6 कपट से निम्नलिखित सम्बद्ध हो सकते हैं-

- अभिलेख अथवा दस्तावेजों का हस्तलाब्ध (छल योजना) जाल साजी अथवा प्रत्यावर्तन;
- आस्तियों का दुर्विनियोग /मिथ्या अनुप्रयोग;
- अभिलेख अथवा दस्तावेजों से लेनदेनों के प्रभाव का अधिक्रमण अथवा विलोपन;
- सारांश के बिना लेनदेन का अभिलेखन; और
- लेखांकन नीतियों का मिथ्या अनुप्रयोग

3.7 सरकारी लेखापरीक्षा का अधिदेश केवल वित्तीय विवरण की (लेखापरीक्षा) की अपेक्षा व्यापक है और इसमें नियमितता और निष्पादन के सत्यापन के लिए जिम्मेदारी शामिल होती है। अतः लेखापरीक्षक के कपट की संभावना की जानकारी न केवल वित्तीय

विवरणों की तैयारी और प्रस्तुत करने में अपितु नियमितता(अनुपालन) और निष्पादन की लेखापरीक्षा में शामिल अन्य क्षेत्रों में भी होनी चाहिए।

तात्त्विकता का महत्व

3.8 सरकारी लेखापरीक्षा में तात्त्विकता निर्धारण प्रायः वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्यांकन के जोखिम तक प्रतिबंधित नहीं हो सकता अपितु इसमें सरकारी लेखापरीक्षा के व्यापक विस्तार के प्रसंग में कपट शामिल है। लेखापरीक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए तात्त्विकता के स्तर अवधारित करते समय तात्त्विकता का स्तर जो लेखापरीक्षा को कपट और भ्रष्टाचार से उत्पन्न जोखिम के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील बना सकता है के सामयोजन पर भी विचार किया जाना चाहिए।

3.9 सरकारी लेखापरीक्षा में, संपरीक्षित संस्था के उत्तरदायित्व का उच्चतर स्तर सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र की अपेक्षा तात्त्विकता के निम्नतर स्तर और विभिन्न विधिक तथा विनियामक अपेक्षाएँ स्थापित करना समउपयुक्त हो सकता है। कपट की मौजूदगी लेखापरीक्षा के मूल्यांकन की एक योग्यता की ओर ले जा सकती है तब भी जब कि कपट वित्तीय विवरणों में प्रकट कर दिया जाता है।

3.10 यद्यपि परम्परागत रूप से तात्त्विकता लेखापरीक्षा की प्राथमिकता अवधारित करने के लिए प्रमुख कारकों में से एक रही है, तथापि कपट पकड़ने के मामलों में, कृत्य चूंकि अवैध होता है, तात्त्विकता कम महत्व की हो जाती है। यद्यपि कम राशि के गबन का लालच बहुत कम है तथापि आंतरिक नियंत्रण का अभाव सभी कम राशियों के दुराचार (गबन) की एक श्रृंखला की ओर ले जा सकता है।

3.11 लेखापरीक्षा हमेशा सिद्ध और अवधारित नहीं कर सकती है कि क्या मिथ्या निरूपण एक त्रुटि थी अथवा कपट था। जब लेखापरीक्षा रिकॉर्ड पर नजर डालती है, कपट की जांच लेखापरीक्षा से परे चली जाती है। अतः लेखापरीक्षा लालपताकाएं (एक ऐसा संकेत कि मर्दों की आगामी संवीक्षा आवश्यक होगी) लगा सकती है जिसके लिए समउपयुक्त अभिकरणों द्वारा आगामी जांच और परिणाम लेखापरीक्षा को प्रतिवेदित करना आवश्यक है।

4. भ्रष्टाचार की विशेषताएं

4.1 भ्रष्टाचार एक जटिल विषय है । निम्नलिखित परिभाषाएं भ्रष्टाचार की प्रकृति उपदर्शित करती हैं:-

- भ्रष्टाचार सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, जिनमें पदाधिकारी अनुचित और अवैध रूप से स्वयं को तथा उनको, जो उनके निकट होते हैं, को समृद्ध बनाते हैं अथवा उन पदों का जिन पर वे होते हैं, या दुरुपयोग करके अन्यो को ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं,³
- भ्रष्टाचार व्यक्तिगत लाभ के लिए अथवा किसी ग्रुप, जिसके लिए कोई व्यक्ति निष्ठा रखता है और उसका आभारी होता है, के लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति का दुरुपयोग करना है।⁴

4.2 भ्रष्टाचार के किसी भी कृत्य में निम्नलिखित तत्त्वों में से एक अथवा अधिक तत्त्व शामिल होंगे-

- कम से कम दो पक्षकार होने आवश्यक हैं, एक ऐसा व्यक्ति, जो पुरस्कार अथवा प्रलोभन देता है, और इसे स्वीकार करने वाला पक्षकार;
- निजी लाभ के लिए कार्यालय अथवा प्राधिकरण की स्थिति के दुरुपयोग होना आवश्यक है;
- या तो प्रलोभनों के प्रस्ताव और/या की स्वीकृति होती है;
- किसी कार्यालय कृत्य के निष्पादनार्थ प्रलोभन अथवा पुरस्कार के लाभ के रूप में किसी प्रस्ताव का अनुरोध करने का प्रयत्न करना;
- ऐसा कोई कृत्य, जिसके माध्यम से सार्वजनिक अथवा संस्था की सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोजन किया जाता है;
- छलावरण (छिपाने) का कोई प्रयत्न हो सकता है, और
- भ्रष्टाचार से विश्वास भंग संबंध होता है;

³ एशियाई विकास बैंक

⁴ विश्व बैंक

5. कपट और भ्रष्टाचार के बीच संबंध

5.1 भ्रष्टाचार और कपट परस्पर अनन्य नहीं हैं। बहुत से मामलों में दोनों के बीच संबंध होता है।

5.2 कपट में सूचना के जानबूझकर किए हुए अन्यथा कथन, जिसका अभिलेख और संक्षिप्त सार किसी संस्था की ओर से प्रस्तुत किया जाता है, से संबद्ध होने की सर्वाधिक संभावना होती है। इसके संघात की तुलना किसी लेखांकन की त्रुटि से की जा सकती है और इसके मापन, घटना, तथा प्रकट जैसे विषय संबद्ध हैं। कपट किसी लेखापरीक्षागत संदर्भ से एक गम्भीर समस्या प्रस्तुत करता है, क्योंकि इसके साथ सामान्तया के रिकॉर्ड और प्रतिवेदन को शामिल करने उसका अयथार्थ रूप प्रस्तुत करने/गलत निर्देश देने के प्रयास आते हैं। इस प्रकार से, कपट वित्तीय विवरणों और संपरीक्षित संस्था के रिकॉर्ड के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है।

5.3 अक्सर, अयथार्थ वितरण प्रस्तुत करने के प्रयास में स्वयं प्रबंधन शामिल हो सकता है। जब प्रबंधन कपट के अपराध कर्म में फंस जाता है, तब गतिविधि का अनुपात अथवा भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ जाता है। अतः कपट और भ्रष्टाचार (परस्पर) जुड़े होते हैं। यद्यपि कपट के कतिपय प्रकार आवश्यक रूप से भ्रष्टाचार समझे जाने के लिए योग्य नहीं होते और किसी व्यक्ति अथवा छोटे गुप की ओर से मूल छिपाने के लिए किए जा सकते हैं।

5.4 एक समस्या जो भ्रष्टाचार के रूप में लेखापरीक्षण के सामने आती है वह घूस के कार्यों से जुड़ा कृत्य उन स्थितियों को समझना संभव होता है, जहाँ घूस प्रत्यक्ष संघात वित्तीय विवरणों पर पड़ता है। उदाहरणार्थ, जहाँ कोई कर अधिकारी कर में राहत देने के लिए किसी संस्था से घूस लेता है, अथवा जहाँ कोई संस्था किसी प्रभावशाली निर्णय लेने वाले को घूस का कोई अनुबंध प्राप्त करने के लिए देती है, । ऐसी स्थितियों में उचित प्रकटन का मुद्दा संबद्ध होता है क्योंकि अवैध भुगतान/व्यय का भ्रष्ट व्यवहार सामान्यतया कपट के किसी लेखांकन अनुपालन अथवा प्रतिवेदन के माध्यम से आवृत्त होता है।

5.5 कुछ मामलों में भ्रष्टाचार का लेखांकन रिकॉर्ड पर केवल परिणामी प्रभाव हो सकता है और सुस्पष्ट तथा प्रत्यक्ष (प्रभाव) नहीं हो सकता है। उदाहरणार्थ जब किसी आपूर्तिकर्ता को लाभ के लिए आपूर्ति आदेश में गुणवत्ता के विनिर्देशनों से समझौता किया जाता है।

5.6 बहुत से उदाहरणों में, भ्रष्टाचार ऐसे लेनदेनों में आवश्यक रूप से परावर्तित नहीं होता, जो संस्था की ओर दर्ज और प्रतिवेदित किए जाते हैं। यह विशेष रूप से उन स्थितियों में लागू होता है, जहां नियमाधीन उपलब्ध किसी प्राधिकारी की स्थिति अथवा स्वनिर्णय का दुरुपयोग किसी पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। ऐसा भ्रष्टाचार सामान्यतया उस सूचना में परावर्तित नहीं होता जो लेखापरीक्षा के विस्तार में आती हैं। उदाहरणार्थ, जब कोई कर अधिकारी ऐसा प्रतिदाय, जो किसी कर दाता को विधित देय होता है, देने के लिए घूस लेता है। इस प्रकार से, जबकि लेखापरीक्षिती को हानि आमतौर पर कपट के मामलों में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है, तथापि, भ्रष्टाचार के मामले में भ्रष्ट कर्मचारी (इस) कृत्य से लाभान्वित हो सकता है, किंतु लेखापरीक्षिती को कोई हानि नहीं हो सकती है अथवा वित्तीय सूचना पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता है।

5.7 कपट और भ्रष्टाचार, दोनों उचित प्राधिकार के बिना (होते) हैं और इनसे विश्वास भंग संबद्ध होता है और इसीलिए अवैध अथवा अनियमित हैं। गैर-पारदर्शी आचरण अथवा व्यवहार का एक विशेष प्रकार कपट है और बहुत अधिकार क्षेत्रों में इसी रूप में समझा जाता है। किसी भी मामले में लेखापरीक्षा दलों/अधिकारियों को दोनों के बीच सह संबंध के अतिरिक्त जटिल भेद से भली भांति अवगत होना चाहिए।

6. कपट और भ्रष्टाचार के प्रकार

कपट और भ्रष्टाचार के कई प्रकार होते हैं कुछ निदर्शी (माल और सेवाओं के अनुबंध करने से संबंधित) प्रकार परिशिष्ट क में उपदर्शित किए जाते हैं।

7. प्रबंधन और लेखापरीक्षा की संबंधित-जिम्मेदारिया

प्रबंधन की जिम्मेदारिया:

7.1 यह जिम्मेदारी उनकी है, जिनको संस्था के अभिशासन का उत्तरदायी संस्था के प्रबंधन की असावधानी के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह संस्था वित्तीय प्रतिवेदन, प्रभावकारिता और परिचालनों की (कार्य) कुशलता और लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन की विश्वासनीयता के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करती और रखती है।

7.2 कपट के संबंध में, यह मान लेना आवश्यक है कि कपट और त्रुटि को रोकने और पकड़ने की जिम्मेदार मुख्यतः कपट की जांच के लिए तैयार की गई नियंत्रण प्रणालियों

और सतत परिचालन के लेखांकन और क्रियान्वयन के माध्यम से संपरीक्षित संस्था के प्रबंधन की होती है। कपट और भ्रष्टाचार के किसी भी मामले के यथेष्ट और सामयिक प्रकटन की जिम्मेदारी और प्रबंधन पर छोड़ दी जाती है और परिचालन के परिणाम विश्वनीयता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी में कपट और भ्रष्टाचार के जोखिम से उत्पन्न सरोकार शामिल अवश्य होने चाहिए। प्रबंधन से कपट और भ्रष्टाचार को रोकने, पकड़ने, प्रतिक्रिया, अनुवर्ती कार्रवाई के लिए स्थापित प्रणाली के प्रलेखन की आशा की जाती है।

लेखापरीक्षा की जिम्मेदारियाँ

7.3 कपट पकड़ना लेखापरीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। तथापि, लेखापरीक्षा को ऐसी पर्याप्तता और सक्षमता का मूल्यांकन और रिपोर्ट अवश्य करनी चाहिए जिसके साथ प्रबंधन के कपट और भ्रष्टाचार को रोकने, पकड़ने, प्रतिक्रिया और अनुवर्ती कार्रवाई निवारक उपायों का निर्वाह किया है। लेखा-परीक्षक को प्रबंधन को अवगत कराना चाहिए कि विश्वसनीय और विधिमान्य निष्पादन उपायों और संकेतकों के अनुप्रयोग की अनुपस्थिति अथवा अभाव से कपट और भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ सकती है।

7.4 लेखापरीक्षा को प्रणालियों और नियंत्रण में उन कमियों से सतर्क रहना चाहिए जिनसे कपट और भ्रष्टाचार के लिए किसी सहायक पर्यावरण मुहैया कराने की संभावना होती है और प्रबंधन से नियंत्रण पर्यावरण सुधारने और कपट तथा भ्रष्टाचार का जोखिम कम करने के उपायों की सिफारिश करनी चाहिए।

7.5 ऐसा कोई संकेत कि एक अनियमितता, अवैध कृत्य, कपट अथवा त्रुटि हो सकती है जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव लेखापरीक्षा के निष्कर्ष/सम्मति हो सकता है, ऐसा संकेत लेखापरीक्षक के लिए ऐसे संदेह की पुष्टि करने अथवा निकाल देने की क्रियाविधियां बढ़ाने का कारण होना चाहिए।

7.6 यह याद रहना चाहिए कि यदि कोई समाविष्ट कपट किया गया था, किंतु लेखापरीक्षा में अन्वेषित नहीं हुआ था, तब लेखापरीक्षा के कर्मिकों पर प्रश्न किया जा सकता था, विशेष रूप से तब यदि साक्ष्य ऐसा था जो सामान्य बुद्धिमानी लेखापरीक्षक में संदेह पैदा करेगा। अतः लेखापरीक्षा के कर्मिकों को नियोजन अवस्था में ही कपट की संभावनाओं से अवगत होने की जरूरत है और लेखापरीक्षागत कार्य करते समय सतर्क रहने की भी जरूरत है।

8. वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में कपट पर सोच-विचार करना

8.1 वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के दौरान दो प्रकार के साभिप्रायः अयथार्थ कथन लेखापरीक्षक के लिए संसुंगत होते हैं, अर्थात् कपट पूर्ण वित्तीय प्रतिवेदन के परिणाम स्वरूप अयथार्थ कथन और आस्तियों के दुर्विनियोग के परिणाम स्वरूप अथार्थ कथन।

8.2 कपट पूर्ण वित्तीय प्रतिवेदन से राशियों के लोप अथवा वित्तीय विवरणों, प्रयोक्ताओं को धोखा देने वित्तीय विवरणों में प्रकट कपटपूर्ण वित्तीय रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल हो:-

- लेखांकन अभिलेख अथवा सहायक प्रलेखन जिनसे वित्तीयविवरण तैयार किए जाते हैं, में परिवर्तन, फेर-बदल अथवा (जाल साजी सहित) अन्यथाकरण;
- घटनाओं के वित्तीय विवरणों, लेनदेनों अथवा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी से अन्यथा कथन अथवा साभिप्राय लोप, और
- राशियों, वर्गीकरण, प्रस्तुत करने के ढंग, अथवा प्रकटन इत्यादि से संबंधित सिद्धान्तों का साभिप्राय दुरुपयोग।

8.3 अस्तियों के दुर्विनियोग से संस्था की आस्तियों की चोरी संबद्ध है और प्रबंधन के अतिरिक्त कर्मचारियों द्वारा की जा सकती है।

8.4 वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा का उद्देश्य लेखा-परीक्षक को ऐसी राय व्यक्त करने देना है कि क्या वित्तीय विवरण किसी लागू वित्तीय प्रतिवेदन कार्य ढांचे के अनुसार, सभी महत्वपूर्ण संबंधों में तैयार किए जाते हैं। कोई भी लेखापरीक्षक ऐसा उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करता है कि कुल मिलाकर लिए गए वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण अन्यथा कथन से मुक्त हों हैं, चाहे ये कपट अथवा त्रुटि के कारण हुए हैं। कोई भी लेखापरीक्षक ऐसा सम्पूर्ण आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकता है कि वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण अन्यथा कथन ऐसे कारकों के कारण पकड़ा जाएगा, जैसे निर्णय का प्रयोग, परीक्षण का प्रयोग, आंतरिक नियंत्रण अन्तर्गत निहित परिसीमाएं और यह तथ्य कि लेखापरीक्षक के लिए उपलब्ध लेखापरीक्षागत साक्ष्य में अधिक निर्णायक नहीं बल्कि प्रकृति में अनुसरणीय होता है।

9. निष्पादन लेखापरीक्षाओं में कपट पर सोच-विचार

9.1 निष्पादन लेखापरीक्षा के मामले में वैसा ही सोच-विचार लागू होता है। निष्पादन लेखापरीक्षा में, उद्देश्यों, उप-उद्देश्यों और विषयों का चयन करते समय कपट और भ्रष्टाचार की दोष पूर्णता/जोखिम पर सम्यक विचार किया जाना चाहिए।

9.2 निष्पादन लेखापरीक्षा के क्रम में कपट और भ्रष्टाचार को रोकने और पकड़ने के लिए आंतरिक नियंत्रण पर सारता और जोखिम के विश्लेषण पर निर्भर करते हुए, लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक पर विचार किया जाना चाहिए।

9.3 जब निष्पादन लेखापरीक्षागत दल के सामने कपट का कोई संभव संकेतक आता है, तब मामले की आगे जांच पड़ताल की जानी और इसके निष्कर्षों की रिपोर्ट की जानी चाहिए। कपट के कोण में संवीक्षार्थ कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र निष्पादन सूचना और माल तथा सेवाओं की सुपुर्दगी के साक्ष्य की सम्पूर्णता दे सकती है।

10. प्राप्ति लेखापरीक्षा में कपट पर सोच-विचार

10.1 लेखापरीक्षा को किसी भी तरह से स्वयं को अपने सांविधिक कर्तव्यों के निष्पादन राजस्व प्राधिकारियों के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए। तथापि, लेखापरीक्षकों के लिए स्वयं को इस बात से संतुष्ट कर लेना चाहिए कि वैधता और नियमितता वैयक्तिक निधारियों में अवलोकित की जाती है और सामान्य में, यह कि विभागीय मशीनरी त्रुटि, कपट और भ्रष्टाचार के विरुद्ध पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखी जाती है।

10.2 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में किसी विभाग, जो सार्वजनिक धन का प्राप्तकर्ता है, के मामलों में यह अभिनिश्चित करना आवश्यक होगा कि (आंतरिक नियंत्रण सहित) अनियमितताओं को शीघ्र पकड़ना, जांच करना और रोकना सुनिश्चित करने के लिए, दोहरे प्रतिदाय, कपट पूर्ण अथवा जाली प्रतिदाय वाउचरों, करों के उद्वग्रहण अथवा संग्रहण अथवा प्रतिदाय करने के लिए कपट, त्रुटि अथवा जानबूझकर लोप अथवा लापरवाही के जरिए राजस्व की अन्य हानि के लिए क्या प्रबंध मौजूद हैं। लेखापरीक्षक भी कपट और भ्रष्टाचार के मामलों को रोकने, पकड़ने और प्रतिवेदित के लिए प्रणालियों और कार्य विधियों में समुचित सुधारों का सुझाव दे सकते हैं।

11. विश्व बैंक और बाह्य रूप से सहायता प्राप्त अन्य परियोजनाओं की लेखापरीक्षा में कपट पर सोच विचार

लेखापरीक्षा निधिकरण अभिकरण के प्रति प्रतिवेदन हेतु जिम्मेदार है कि क्या क्रियान्वयनकारी अभिकरणों ने योजनाओं से संबंधित परियोजना मूल्यांकन रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट पैटर्न के अनुसार योजना पर और ऐसी सहायता और भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार प्रणाली और नियंत्रण में अपर्याप्तताओं से संबंधित मामलों की पहचान करने के लिए, पूर्वतम रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रशासन की विफलता तथा फुजूल खर्च, कपट अथवा अनुमानित कपट के मामलों में व्यय किया है।

12. व्यावसायिक संदेहवाद

12.1 व्यावसायिक संदेहवाद एक मनोवृत्ति है, जिसमें प्रश्न करने मस्तिष्क और लेखापरीक्षा गत साक्ष्य का एक आलोचनात्मक निर्धारण शामिल है। व्यावसायिक संदेहवाद के लिए एक आगे चलने वाला प्रश्न कि क्या प्राप्त किया गया लेखापरीक्षागत साक्ष्य और सूचना लेखापरीक्षागत निष्कर्षों/सम्मति पर महत्वपूर्ण प्रमाण रखने वाले कपट का अस्तित्व जताते हैं।

12.2 कपट की विशेषताओं के कारण व्यावसायिक संदेहवाद की लेखापरीक्षक की मनोवृत्ति उस समय विशेष महत्व की हो जाती है, जब महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले कपट के जोखिम पर विचार किया जा रहा है। जब उपयुक्त आश्वासन प्राप्त कर रहा है तब किसी भी लेखापरीक्षक को पूरी लेखापरीक्षा में व्यावसायिक संदेहवाद की एक मनोवृत्ति रखनी चाहिए, नियंत्रण को अभिभूत करने में प्रबंधन के लिए संभाव्यता पर विचार करना चाहिए और इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि लेखापरीक्षा की क्रियाविधियां/महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले कपट एक निर्धारित जोखिम के प्रसंग में समुचित नहीं हो सकती हैं। यह प्रबंधन की ईमानदारी और अखंडता के और उनके, जो अभिशासन के साथ प्रभारित किए गए हैं, के बारे में संस्था के साथ लेखापरीक्षक का विगत का अनुभव होने के बावजूद भी है।

13. लेखापरीक्षा की नियोजन अवस्था में कपट के बारे में जागरूकता

जोखिम निर्धारण

13.1 क्षेत्र कार्यालयों को एक स्वतंत्र जोखिम निर्धारण करना चाहिए और तदनुसार अपने लेखापरीक्षा नियोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसमें कपट और भ्रष्टाचार के संदिग्ध मामलों पर जनता और मीडिया से प्राप्त कोई भी जानकारी शामिल होनी

चाहिए। लेखापरीक्षा की योजना उच्च जोखिम के क्षेत्रों पर संकेन्द्रण करना चाहिए, उदाहरणार्थ, उन क्षेत्रों, पर जो आगे 13.8 में उपदर्शित किए गए हैं।

13.2 यद्यपि लेखापरीक्षा कपट के विरुद्ध सुनिश्चित नहीं कर सकती, तथापि, उसके घटने की संभावना व्यावसायिक संदेहवाद की एक मनोवृत्ति रख कर, लेखापरीक्षा की तैयारी और लेखापरीक्षा करते समय ध्यान में रखनी चाहिए।

13.3 अपनी लेखापरीक्षा की योजना बनाते समय, लेखा-परीक्षक को जोखिम का निर्धारण करना चाहिए कि कपट वित्तीय विवरणों में समाविष्ट होना चाहिए अन्यथा कथन अथवा रिकॉर्ड में महत्वपूर्ण अनियमित लेनदेन अंतर्विष्ट होने का कारण हो सकता है।

13.4 लेखापरीक्षक यह ध्यान में रख सकता है कि कपट और भ्रष्टाचार का जोखिम कतिपय संगठनों में उन संगठनों की भांति उच्चतर हो सकता है जो माल और सेवाओं के प्रापण से संबद्ध होते हैं।

13.5 लेखापरीक्षक को उस पर्यावरण सहित संपरीक्षित संस्था की पूर्ण समझ होनी चाहिए जिसमें संस्था आंतरिक नियंत्रण का स्तर संपरीक्षित संस्था के पिछले निष्पादन विशेष रूप से कपट और भ्रष्टाचार के पूर्वतम उदाहरणों का स्तर, परिचालित करती है।

13.6 जोखिम के निर्धारण के आधार पर, लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा के उद्देश्य विकसित और लेखापरीक्षा की क्रियाविधियां तैयार करनी चाहिए, जिससे कि कपट और भ्रष्टाचार से उत्पन्न समाविष्ट होना चाहिए अन्यथा कथन और अनियमितताओं को पकड़ने और मूल्यांकन करने की उपयुक्त प्रत्याशा हो सके। उच्च जोखिमगत लेखापरीक्षा के मामलों में लेखापरीक्षा दल का चयन ऐसी लेखापरीक्षा की जरूरत को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

13.7 क्षेत्रीय कार्यालयों को बजट, समय और लेखापरीक्षा दल की विशेषज्ञता के अनुसार लचीलेपन के लिए जरूरत को ध्यान में रखना चाहिए, विशेष रूप से तब, जब कपट और भ्रष्टाचार लेखापरीक्षा के क्रम में संदिग्ध होते हैं अथवा उनका पता चलता है।

उन क्षेत्रों की पहचान करना, जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

13.8 संपरीक्षित संस्था की समझ से लेखापरीक्षक उच्च जोखिम के क्षेत्रों की संभावना और उपयुक्त रूप से लेखापरीक्षा की क्रिया विधियों और तकनीकों को आशोधित कर सकने योग्य होना चाहिए। पूरे विश्व में प्रदत्त लेनदेनों की जटिलता और लेखापरीक्षा के

प्रणाली विज्ञान का परिष्करण, एक मात्र मानदंड के रूप में व्यय को लेना, एक पक्षीय और सरल है। कपट जोखिम की व्यापक परिभाषा में सरकारी लेखापरीक्षक के विनिर्दिष्ट सरोकार के क्षेत्र शामिल होने चाहिए यद्यपि वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण संधात संभतः नहीं होता है। उच्च जोखिम के कुछ सामान्य (निदर्शी) क्षेत्र निम्नलिखित हैं:-

- सेवा/प्रापण के अनुबंध (उदाहरणार्थ, कपट जोखिम में निविदाएं आमंत्रित करने/प्राप्त करने और प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए क्रियाविधि से संबंधित विहित कानूनों विनियमों का उल्लंघन, बोलीदाताओं का चयन करना शामिल है)।
- वस्तुसूची और/शास्ति प्रबंधन;
- संस्वीकृति/स्वीकृति;
- कार्यक्रम प्रबंधन और निष्पादन प्रबंधन सूचना;
- राजस्व प्राप्ति (उदाहरणार्थ माल का गलत मूल्यांकन इयटी के त्रुटिपूर्ण अमान्य दावे, प्रतिदाय के दावों के बारे में छूट और अधिसूचनाओं का दुरुपयोग प्राप्तियों की गलत गणना के जरिए गबन इत्यादि);
- रोकड़ प्रबंधन;
- ए.सी बिलों पर व्यय;
- अनुदान (स्वायत निकायों, गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान की भांति, उदाहरणार्थ कपट जोखिम में सरकारी विभागों द्वारा अनुदान प्रदान करने और व्यवस्था करने में अथवा प्राप्तकर्ता द्वारा खर्च करने में अवैध अनुदान प्राप्त करने के लिए वित्तीय प्रतिवेदन में सभिप्राय अन्यथा कथन संबंधी विहित शर्तों का उल्लंघन शामिल हो) ;
- वित्तीय विवरण;
- परिचालन सूचना (उदाहरणार्थ, कपट के जोखिम में अत्युक्ति/न्यूनोक्ति, निष्पादन के लक्ष्यों को पूरा करने में प्रगति सेवित नागरिकों की संख्या, कार्यक्रम में सुधार, नीतियों इत्यादि को अनुपालन, इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाना कि क्या संभव कपट संस्था के वित्तीय विवरणों से संबंध रखता है);

- कंप्यूटरीकृत पर्यावरण;
- सार्वजनिक क्षेत्र के प्रकार्यों का निजीकरण (उदाहरणार्थ, कपट के जोखिम में खुली प्रतियोगी प्रक्रिया का गैर-अंगीकरण, बोली की शर्तों में और मूल्यांकन मानदंड इत्यादि में हस्तकौशल संयुक्त उद्योग, सार्वजनिक-निजी भागीदारी इत्यादि ; और
- सार्वजनिक अंतरापृष्ठ से संबंध कोई अन्य (उदाहरणार्थ कपट के जोखिम में विनियमों अनुज्ञाओं और रियायतों को जारी करने जैसे सार्वजनिक प्राधिकरण के प्रयोग में कपट शामिल होता है)।

13.9 यथा प्रथम कदम, सिस्टम के प्रारम्भिक मूल्यांकन के दौरान, विभिन्न लेखांकन प्रणालियों और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता, चाहे हस्तलिखित रूप में अथवा अन्यथा स्थापित की गई है, की जांच की जानी चाहिए और वैयक्तिक लेनदेनों की जांच कहां तक की गई, इसे ऐसी जांच के परिणामों के आधार पर अवधारित किया जाना चाहिए। यह और अधिक आवश्यक है क्योंकि लेखापरीक्षा में सामान्यतः लेनदेनों के एक नमूने की जांच की जाती है और लेखापरीक्षा के कार्मिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं, यदि लेखांकन प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सार्थक त्रुटियों के कारण सार्वजनिक धन का दुरुप्रयोग होता है अथवा ये कुप्रथा की ओर ले जाती हैं। सिस्टम लेखापरीक्षा की संकल्पना है कि यदि किसी सिस्टम की तंत्र रचना के गहन विश्लेषण से यह प्रकट हो कि यह प्रणालिया और प्रक्रियाएं त्रुटियों कपट इत्यादि पर समुचित नियंत्रण, जांच और संतुलन के साथ तैयार की गई हैं, तब लेखापरीक्षा प्रत्येक घटना अथवा लेनदेन की विस्तृत जांच करने की आवश्यकता के संबंध में यह मान सकता है कि सिस्टम द्वारा दिए गए निष्कर्ष पूर्णतः सही होंगे। तथापि किसी सिस्टम की (कार्य) कुशलता और प्रमाणकारिता के मूल्यांकन के लिए इसके वास्तविक कार्यकरण की नमूना जांच आवश्यक होगी।

14. लेखापरीक्षा अवधि में कपट के बारे में सतर्कता

लेखापरीक्षा के दौरान सतर्कता

14.1 लेखापरीक्षा की कार्य अवधि के दौरान यदि लेखापरीक्षा के कर्मिकों के सामने कपट के संभव संकेतक आते हैं तो उन्हें सतर्क रहना तथा रूपष्टीकरण मांगना चाहिए।

14.2 लेखा-परीक्षकों को प्रकटन की अपेक्षाओं सहित स्वीकार्य लेखांकन मानकों से विचलन के प्रति सावधान रहने की जरूरत है, विशेषरूप से तब, जब कपट और भ्रष्टाचार का संदेह हो।

14.3 लेखापरीक्षक यह ध्यान में रखे कि जब कोई कपट किया जाता है तब तथ्यों को छिपाने का प्रयास जानबूझकर किया जाता है और लेखा-परीक्षक का ध्यान भंग किया जाता है।

कपट के संकेतक

14.4 कपट के कुछ संभव संकेतक (लालपत का क्षेत्र) परिशिष्ट (ख) में दिए गए हैं। वे केवल निदर्शी हैं और उन्हें सर्वांगपूर्ण नहीं लिया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा कर्मियों को संभव कपट संकेतकों के संबंध में कार्रवाई करने व्यवसायिक संदेह वाद तथा व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग करना चाहिए।

14.5 इसे भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि जो कुछ एक नगण्य अनियमितता प्रतीत होती है के महत्व को समझने की विफलता का परिणाम किसी आवश्यक कपट अथवा गबन का पता लगाने की विफलता हो सकता है। इसलिए बहुत सी मामूली त्रुटियों अथवा अनियमितताओं के संचयी प्रभाव का ध्यान सामान्य रूप से लेखा रखने में अथवा वित्तीय प्रशासन में लापरवाही और अकुशलता के सूचक होने के नाते रखा जा सकता है।

14.6 यदि कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है और लेखापरीक्षक का संदेह है कि अनियमितताएं हो सकती हैं, तब उसे मामले की आगे जांच करनी तथा संपरीक्षित संस्था के प्रबंधन को सूचित करना चाहिए। यदि अनियमितताएं लेखा पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखती थी, तब लेखा में उपयुक्त योग्यता का आधार प्रस्तुत किया जा सकता है। लेखापरीक्षा को भी नियंत्रण कार्यविधियों में सुधार के लिए प्रबंधन से खराब परम्परा और/अथवा अनियमितताएं रोकने के लिए सिफारिश करनी चाहिए।

संपरीक्षित संस्था के प्रबंधन से मांगी जाने वाली जानकारी

14.7 प्रत्येक लेखापरीक्षा के प्रारम्भ में, कपट की जागरूकता और संबंधित पर्यावरण के बारे में जानकारी संपरीक्षित संस्था के प्रबंधन से एकत्रित की जानी चाहिए।

14.8 जानकारी में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होना चाहिए।

- कपट/भ्रष्टाचार को रोकने और पकड़ तथा प्रतिवेदन के लिए नीति और सिस्टम;
- कपट और भ्रष्टाचार उत्तरदायित्व सिद्ध करने के लिए सिस्टम;
- कपट/भ्रष्टाचार के संकेतक;
- पिछली लेखापरीक्षा से देखे गए कपट और भ्रष्टाचार के उदाहरण;
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने सहित ऐसे मामलों पर की गई कार्रवाई;
- कपट और भ्रष्टाचार के जोखिम के संभावित विशेष क्षेत्र, और
- कपट और भ्रष्टाचार के नियंत्रण के बारे में प्रबंधन की ओर से जारी दिशानिर्देश।

15. लेखापरीक्षागत साक्ष्य

साक्ष्य की प्रकृति

15.1 लेखापरीक्षकों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि प्राप्त किया गया लेखापरीक्षागत साक्ष्य केवल अनुकरणीय हो सकता है, निर्णायक नहीं, फिर भी संदिग्ध कपट और भ्रष्टाचार के मामले में साक्ष्य निर्णायक के निकटतर होना चाहिए। कपट और भ्रष्टाचार के सभी मामलों को प्रतिवेदित करते समय, उन्हें कपट अथवा भ्रष्टाचार के अस्तित्व के बारे में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए अपितु संदिग्ध कपट/भ्रष्टाचार अथवा संभावित कपट संबंधी सुझाव देना चाहिए।

कुछ निदर्शी जांच

15.2 विश्लेषणात्मक कार्य विधियां असामान्य लेनदेनों अथवा घटनाओं का और राशियों अनुपातों तथा प्रवृत्तियों जो लेखापरीक्षागत निहितार्थ रखने वाले मामले उपदर्शित कर सकती हैं, को होने की पहचान में सहायक होती हैं। जब योजना के चरण में अथवा लेखापरीक्षा की कार्य अवधि के दौरान विश्लेषणात्मक क्रिया विधियां निष्पादित कर रहे होते हैं, तब असामान्य अथवा अप्रत्याशित संबंध से कपट के जोखिम का पता लग सकता है।

15.3 लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में कपट का पता लगाने संबंधी कपट उपाय किए जाने की जरूरत है कि लेखा परीक्षण के दौरान लेखापरीक्षक ऐसे लेन-देन पर प्रकाश डाल सके जिसमें कपट की संभावना होती है अथवा सिस्टम की ऐसी सुसंगत विफलताओं को पहचान सकता है जिसके कारण कपट हो सकता है जो लेखा परीक्षा के दौरान लालपता का लगी मदों के संबंध में की जाने वाली कतिपय जाँच के उदाहरण नीचे गए हैं।

- शक्तियों के प्रत्यायोजन के प्रयोग की जांच करेंगे विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में;
- विभिन्न क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता और पर्याप्तता की जांच करें;
- आपूर्तिकर्ता और कर्मचारियों/प्रबंधन के बीच विवाद की जांच करें;
- वित्तीय शक्तियों के दुरुपयोग के मामलों की जांच करें;
- मिथ्या विवरणों और मिथ्या दावों के लिए जांच करें। क्या किसी लेनदेन का औचित्य सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत की गई जानकारी गलत है और उस समय जब जानकारी प्रस्तुत की गई थी, तब जानकारी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की पहुंच सही जानकारी तक थी;
- केन्द्रीयकरण, संद्वित खरीदारी, कपट पूर्ण बोली अधिक अथवा कम बीजक तैयार करने और मिथ्या प्रगति रिपोर्ट पर भुगतान करने के प्रमाण की जांच करें;
- अपवंचन और/अथवा अगणना अथवा प्राप्ति के कारण राजस्व की हानि की जांच करें;
- प्राप्त नहीं हुई आपूर्ति/सेवाओं के लिए किए गए भुगतान की जांच करें;
- अन्य संबंधित पक्षकारों से पुष्टि करें;
- जानबूझकर गलत करने के प्रमाण के लिए दस्तावेजों के प्रति-संबंध की जांच करना; और
- गलत वर्गीकरण के मामले, इत्यादि।

कपट विशेष संबंधी: आंतरिक नियंत्रण

15.4 जहां तक कपट विशेष सम्बन्धी आंतरिक नियंत्रण का संबंध है, वहां इस प्रकार के दो नियंत्रण हो सकते हैं, अर्थात् सक्रिय आंतरिक नियंत्रण तथा निष्क्रिय आंतरिक नियंत्रण सक्रिय आंतरिक नियंत्रण के उदाहरण निम्नलिखित हो सकते हैं:-

- i. हस्ताक्षर और दस्तावेज पर प्रति हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया;
- ii. कर्तव्यों और प्रकार्यों का वियोजन;
- iii. वास्तविक आस्ति नियंत्रण;
- iv. वास्तविक समय पर वस्तु नियंत्रण; और
- v. दस्तावेज का मिलाना और दस्तावेजों का प्रति संबंध।

15.5 जहां कहीं भी, संपरीक्षित संस्था का प्रबंधन अपने पर्यावरण में परिवर्तनों के कारण अथवा कपट और भ्रष्टाचार के पूर्वतम उदाहरणों की किसी प्रतिक्रिया के रूप में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में परिवर्तन और सुधार करता है, तब ऐसे परिवर्तनों और सुधारों की लेखापरीक्षा के दौरान विशेष रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा का पहुँच मार्ग

15.6 चूँकि कपट और भ्रष्टाचार के मामलों के बारे में पूर्ण साक्ष्य लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध हों, अतः लेखापरीक्षण के निष्कर्ष पर आने के लिए सम्यक सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत सी परिस्थितियों में ही सकता है कि लेखापरीक्षा के निष्कर्ष पर पहुँचने के लए सामान्य पर्याप्त समझे जाने वाले साक्ष्यों और जांचों के अतिरिक्त और भी अधिक जांच करने और साक्ष्य प्राप्त करना पड़े।

15.7 जब कभी लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन करने में विफलता की कोई महत्वपूर्ण घटना सामने आती और कर्मचारी वर्ग के बेईमान होने की कल्पना किए बिना, व्यावसायिक संदेहवाद की एक समुचित कोटि (डिग्री) के साथ नियंत्रण विफलता की जांच करनी चाहिए। यदि सहायक साक्ष्य में किसी प्रकार से छेड़-छाड़ की गई है अथवा वस्तुतः उल्लंघन से कोई व्यक्ति लाभान्वित हो सकता था तो इस बात की थी जांच कर सकता है।

15.8 जब लेखापरीक्षकों को कपट और भ्रष्टाचार की संभावना पर संदेह होता है, तब उन्हें यह सिद्ध करना चाहिए कि क्या ऐसा हुआ है, और इससे वित्तीय रिपोर्टिंग पर

परिणामी प्रमाण पड़ा है, विशेष रूप से, क्या लेखापरीक्षा के प्रमाण-पत्र के लिए योग्यता आवश्यक है। ऐसा ही विचार निष्पादन लेखापरीक्षा के मामले में लागू होता है, जहां कार्यक्रम निष्पादन अथवा निष्पादन प्रतिवेदन पर प्रभाव पड़ा है।

15.9 जब लेखापरीक्षक कपट और भ्रष्टाचार पर रिपोर्ट करने का इरादा करते हैं, तब उन्हें तीसरे पक्षकार के साक्ष्य सहित, स्रोत दस्तावेजों के साथ इसे सत्यापित करके लेखापरीक्षागत साक्ष्य की विश्वसनीयता सुनिश्चित करनी चाहिए। लेखापरीक्षकों को सावधानी पूर्वक इस बात का निर्णय लेना चाहिए कि उन्हें लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के समर्थन में कितने साक्ष्य एकत्रित करने चाहिए। लेखापरीक्षकों को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी ओर से एकत्रित साक्ष्य और उनके निष्कर्ष विधिक अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के लिए आधार बन सकते थे।

15.10 कपट के जोखिम के बारे में समग्र उत्तरदायी का निर्धारण करने में लेखापरीक्षक को चाहिए कि वह-

(क) विभिन्न प्रतिचयन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए प्रयुक्त लेखांकन और प्रतिवेदन (रिपोर्टिंग) नीतियों का मूल्यांकन करे;

(ख) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा के चयन में अननुमेयता का एक तत्त्व शामिल करे, उदाहरणार्थ-

- विभिन्न स्थानों पर अथवा अघोषित के आधार पर स्थानों में लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निष्पादित करना;
- महत्वपूर्ण लेखाओं में अथवा इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन (ट्रांजेक्शन) की फाइलों में अंतर्विष्ट आंकड़ों के बारे में अधिक साक्ष्य एकत्रित करने के लिए, मुख्य इलेक्ट्रॉनिक फाइलों से नमूना लेनदेनों का चयन करने के लिए, विनिर्दिष्ट विशेषताओं के साथ लेन-देनों को चुनने के लिए, अथवा किसी नमूने की बजाए सम्पूर्ण संख्या की जांच करने के लिए कंप्यूटर की सहायता प्राप्त तक का प्रयोग करना;
- बाह्य अभिपुष्टियां तैयार करना ;
- संस्था में गैर-वित्तीय कार्मिकों की पूछताछ के साथ ऐसी बाह्य अभिपुष्टियों को पूरा करना ;
- अवधि में अथवा (इसके) अंत में अधिक वास्तविक परीक्षण निष्पादित करना, और

- एक विस्तृत स्तर पर विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएँ निष्पादित करना, इत्यादि।

15.11 लेखापरीक्षक आस्ति मूल्यांकन विशिष्ट लेन-देनों और अन्य महत्वपूर्ण प्रोदभूत देनदारियों सहित असंख्य लेखाओं और दावों को प्रभावित करने वाले कपट के कारण वस्तुपरक गलत विवरण दिए जाने के जोखिम का पता लगा सकता है। संस्था की सहमति से और इसके परिवेश से प्राप्त सूचना लेखापरीक्षक के लिए ऐसे प्रबंधन प्राकलनों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने और निष्कर्ष पर पहुँचने तथा पूर्वानुमान लगाने में सहायक हो सकती है। पूर्ववर्ती अवधियों में लागू प्रबंधन के वैसे ही निर्णयों और पूर्वानुमानों का एक पूर्वप्रभावी पुनरीक्षण भी प्रबंधन के अनुमानों का समर्थन करने वाले निर्णयों तथा पूर्वानुमानों को उपायुक्तता के बारे में पूरी जाँकारी प्रदान कर सकता है।

15.12 नियंत्रणों पर प्रबंधन की अवहेलना के जोखिम के लिए प्रतिक्रिया व्यक्त करने हेतु लेखापरीक्षक को निम्नलिखित के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रिया तैयार करनी और निष्पादित करनी चाहिए ;

- (क) वित्तीय विवरणों को तैयारी में की गई दैनिक प्रविष्टियों और अन्य समायोजनों की उपयुक्तता की जांच ;
- (ख) उन पूर्वानुमानों जिनके परिणामस्वरूप कपट के कारण महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती थी, के लेखांकन प्राकलन का पुनरीक्षण; और
- (ग) ऐसे महत्वपूर्ण लेन-देनों के व्यापार मूलाधार सहमति प्राप्त करें कि लेखापरीक्षक (इस बात से) अवगत हो कि वे संस्था के लिए व्यापार (परिचालन)के सामान्य क्रम से बाहर हैं, अथवा जो अन्यथा संस्था और उसके परिवेश के संबंध में लेखापरीक्षक को दी गई जानकारी असामान्य प्रतीत होती है।

कम्प्यूटरगत साक्ष्य

15.13 चूँकि कार्य के सामान्य और साधारण क्रम में कम्प्यूटर द्वारा बहुत से रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं, अतः लेखापरीक्षकों को यह पता होना चाहिए कि उस रिकॉर्ड को यथा लेखापरीक्षा साक्ष्य, कैसे संग्रहीत किया और संभाला जाना चाहिए। कम्प्यूटरगत साक्ष्य संग्रहित करने के लिए सावधानीपूर्वक नियोजन और निष्पादन आवश्यक होता है। लेखापरीक्षकों को जांच करनी चाहिए कि क्या कम्प्यूटरगत साक्ष्य की प्रभारिकता सुनिश्चित करने के लिए समुचित नियंत्रण मौजूद हैं।

सामान्य वित्तीय नियमों के उपलब्धों का अनुपालन

15.14 लेखापरीक्षा के कार्मिकों सामान्य वित्तीय नियमों, 2005 के नियम 33, 34, 37 और 38 (पूर्व सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 16 से 19 और 21) के उपबंधों का निम्नलिखित के बारे में अनुपालन की जांच भी करनी चाहिए-

- सार्वजनिक धन, विभागीय राजस्व अथवा प्राप्ति, स्टाम्प, अफीम, भंडार अथवा सरकार द्वारा अथवा सरकार की ओर से रखी अन्य सम्पत्ति की हानि अथवा कमियां प्रतिवेदित करना जिसमें हानि का कारण और संबंधित अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पकड़ने का तरीका सांविधिक लेखापरीक्षा अधिकारी के अतिरिक्त, अगले संबंधित उच्चतर प्राधिकारी को तथा संबंधित प्रधान लेखा अधिकारी को तब भी प्रतिवेदित करना होता है, जब ऐसी हानि उस पक्षकार द्वारा पूरी की गई है, जो इसके लिए जिम्मेदार है। ऐसा उन मामलों के अतिरिक्त मामलों में किया जाता है, जिन्हें सामान्य वित्तीय नियमों के उपलब्धों के अधीन प्रतिवेदित करना आवश्यक नहीं है ;
- गम्भीर अनियमितताओं से संबद्ध मामलों को वित्तीय सलाहकार अथवा संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग मुख्य लेखांकन प्राधिकारी और वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक के नोटिस में लाना दुरुपयोग करने, खयानत, गबन इत्यादि के माध्यम से गुम हो गई राशियों का पुनाहरण, केन्द्र सरकार के विभाग अथवा लेन-देन से संबंधित राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवकों की सदोषता के कारण सरकार के लिए हानि वहन करना ;
- पथभ्रष्ट सरकारी पदाधिकारियों से वसूली करना ;
- चैकों के गलत अथवा अनियमित निर्गम से अथवा प्राप्तियों के अनियमित लेखांकन से हुई सरकारी धन की हानि से संबंध सभी मामलों का प्रतिवेदन ऐसे सभी मामले लेखा के महानियंत्रक को हानि की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों के साथ प्रतिवेदित किए जाएंगे, जिससे कि वह नियमों अथवा उन क्रियाविधियों यदि उनसे संबंधित कोई हैं, में दोष निवारण के लिए कदम उठा सके ;
- संदिग्ध अग्नि, चोरी, कपट इत्यादि के कारण विहित मूल्य से अधिक की हानियों को यथा संबंध शीघ्र जांच के लिए पुलिस को प्रतिवेदित करना। उन

सभी मामलों, जो उन्हें भेजे जाते हैं में एक औपचारिक जाँच रिपोर्ट पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त की जानी चाहिए ;

- संबंधित अधिकारियों पर हानि के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए ; और
- दोषियों और निवारक उपायों के लिए कारवाई सहित हानि के मामलों में हानि पकड़ने, प्रतिवेदित करने, बट्टाखाते डालने और अंतिम निपटान की प्रत्येक अवस्था में हानि के मामलों का तत्काल निपटारा किया जाना चाहिए।

15.15 इन नियमों के उपबंधों का सार परिशिष्ट-ग में दिया गया है।

15.16 जैसा कि नियमों का उल्लेख समय-समय पर किया जा सकता है, अतः लेखापरीक्षकों को लागू नवीनतम नियमों को अभिनिश्चित करना चाहिए और अनुपालन की जांच करनी चाहिए।

15.17 सार्वजनिक धन, विभागीय राजस्व इत्यादि की हानियों अथवा कमियों का प्रतिवेदन नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि सामान्य वित्तीय नियमों में अपेक्षित है, कपट अथवा भ्रष्टाचार के एक तत्त्व को मौजूदगी और गैर-पारदर्शी बताने वाला एक संकेतक (यद्यपि निर्णायक नहीं) हो सकता है।

15.18 लेखापरीक्षा अधिकारी को मंजूरीयों के पृष्ठांकन के लिए सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 29 के उपबंधों का गैर-अनुपालन भी कुछ मामलों में कपट अथवा भ्रष्टाचार का एक संकेतक दे सकता है। सामान्य वित्तीय जोखिम को गैर-अनुपालन की जांच कपट और भ्रष्टाचार के दृष्टिकोण से भी की जानी चाहिए।

16. सूचना प्रौद्योगिकीगत कपट

सूचना प्रौद्योगिकीगत कपट की प्रकृति

16.1 सूचना प्रौद्योगिकीगत कपट में बेईमानी से धन अथवा सम्पत्ति अथवा कोई अन्य कीमती लाभ प्राप्त करने अथवा हानि पहुँचाने के लिए किसी भी तरीके से किसी कंप्यूटर अथवा कम्प्यूटरगत आंकड़ों से धोखेबाजी संबंध हो सकती है।

16.2 कम्प्यूटर आर्थिक अथवा वित्तीय लाभार्थ उनका दुरुपयोग करने के अवसर प्रदान करते हैं। कंप्यूटर (का कार्य संजाल) नेटवर्क का प्रयोग भौगोलिक रूप से दूरवर्ती स्थानों

से अपराध करने के लिए किया जा सकता है। कंप्यूटरों का प्रयोग करके किए गए कपट जटिल वित्तीय कपट से सरलतर कपट तक भिन्न होते हैं, जहां केवल कंप्यूटर ही कोई अपराध करने का एक साधन है। व्यापक रूप में, ई-वाणिज्यिक/ई-भुगतान प्रणालियों का प्रयोग करने का कुछ राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में इलेक्ट्रॉनिक कपट की संभावना के लिए सावधानी आवश्यक होती है।

16.3 सूचना प्रौद्योगिकीगत कपट अंतरंगियों, बाहरी व्यक्तियों, विक्रेताओं, प्रतियोगियों इत्यादि द्वारा किए जाते हैं। ऐसे कपट किसी कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट, आऊटपुट अथवा थरुपुट के हस्तलाघव द्वारा किए जाते हैं। कपट जानबूझकर क्षति पहुँचाने के लिए सिस्टम में हैकिंग द्वारा भी किया जा सकता है।

सूचना प्रौद्योगिकीगत कपट के संबंध में लेखापरीक्षा की भूमिका

16.4 चूँकि कार्य के प्रायिक और साधारण क्रम में कंप्यूटरों द्वारा बहुत सा रिकॉर्ड पैदा किया जाता है, अतः लेखापरीक्षकों को समझना चाहिए कि उस रिकॉर्ड को लेखापरीक्षा के साक्ष्य के रूप में कैसे एकत्रित किया और संभाला जाए। कंप्यूटरगत साक्ष्य एकत्रित करने में सावधानीपूर्वक नियोजन तथा निष्पादन की आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षकों को जांच करनी चाहिए कि क्या कंप्यूटरगत साक्ष्य की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए समुचित नियंत्रण मौजूद है।

16.5 कंप्यूटरीकृत सिस्टमों में कपट रोकने के उपायों से भौतिक और तार्किक दोनों उचित पहुँच के नियंत्रण स्थापित करना संबद्ध है। भौतिक पहुँच नियंत्रण कंप्यूटरीकृत सिस्टम तक अप्राधिकृत पहुँच के विरुद्ध सुनिश्चित करता है और तार्किक पहुँच का नियंत्रण आंकड़ों और सॉफ्टवेयर तक इसके उपयोग तथा हस्तलाघव के लिए अप्राधिकृत पहुँच को रोकता है।

16.6 लेखापरीक्षकों के लिए सर्वाधिक प्रभावी साधन आंकड़ों संबंधी पूछताछ, विश्लेषण और प्रतिवेदन सॉफ्टवेयर है। एसीएल और आईडीईए जैसा शक्तिशाली अन्तर सक्रिय सॉफ्टवेयर अनेक जिल्दों के इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों के माध्यम से तुरंत जांच कर सकते हैं और किसी संगठन में कपट को पकड़ने तथा रोकने में सहायता कर सकते हैं। अपवादिक रिपोर्टें तथा लेखापरीक्षा की खोज पर चलने के अतिरिक्त सामान्य आंकड़ों की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में उनका उपयोग किया जा सकता है, किंतु वे लेखापरीक्षक की ओर से नमनीयता और रचनात्मकता की मांग करते हैं। लेखापरीक्षक में पिछले प्रश्नों के निष्कर्ष

के आधार पर प्रश्नों को पुनः उठाने तथा अद्यतन करने का योग्यता होनी चाहिए। लेखापरीक्षा निष्पादन करने की कुशलता होने के अतिरिक्त, यह आवश्यकता होता है कि लेखापरीक्षकों को कपट के संभव तरीके समझाने के लिए कंप्यूटरीकृत सिस्टम की आंतरिक जानकारी हो, जिससे कि वे संगठन को सभी प्रकार के जोखिम से अलग रख सकें।

16.7 लेखापरीक्षितियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ाये जाने के लिए अपेक्षित है कि लेखापरीक्षक की पहुँच विश्वसनीय और सत्यापनीय सिस्टम के आधार पर लेखापरीक्षागत खोज तक, आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन करने के लिए होनी चाहिए। लेखापरीक्षक को विशेष रूप से लेखापरीक्षागत खोज की सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम की जांच तथा संतुलन की नियंत्रण के स्तरों की जानकारी रखनी होती है और स्पष्ट यह भी जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार प्रक्रम-नियंत्रण कपट के परिचालक द्वारा रोका जा सकता है और आंकड़ों तक किस प्रकार पहुँच तथा चालाकी से काम निकाला जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम के लेखापरीक्षक के लिए यह विशेष रूप से अपनी लेखापरीक्षा में अंतर निर्मित सुरक्षा नियंत्रण के स्तर तक पहुँचना आवश्यक है, यदि ये आंकड़ों की अतिसंवेदनशीलता के अनुकूल हैं।

16.8 कंप्यूटर सिस्टम के प्रयोग से संबद्ध कपट के मामले में लेखापरीक्षा कार्मिकों को मुख्यालयों के कार्यालय के सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा खंड और नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के स्थायी ओदशों (लेखापरीक्षा) की नियमपुस्तक द्वारा जारी सूचना प्रौद्योगिकीगत लेखापरीक्षा पर अनुदेशों का अनुपालन भी करना चाहिए।

17. प्रलेखन

17.1 लेखापरीक्षकों को पर्याप्त प्रलेखन एकत्र करने चाहिए जो बाद में पूछताछ, जांच, न्यायालयगत प्रकरण इत्यादि के दौरान साक्ष्य उपलब्ध करा सकते हैं।

17.2 प्रलेखन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होना चाहिए-

- (क) कपट के पहचाने तथा निर्धारित किए गए जोखिम, कपट के निर्धारित जोखिम के प्रति लेखापरीक्षक की समग्र प्रतिक्रिया और प्रकृति, समय तथा लेखापरीक्षागत क्रियाविधियों की सीमा और उन प्रक्रियाओं का कपट के निर्धारित जोखिम के साथ संबंध ;

(ख) लेखापरीक्षागत प्रक्रियाओं के परिणाम, जिनमें ऐसे परिणाम भी शामिल हैं, जो नियंत्रण पर प्रबंधन द्वारा उल्लंघन के जोखिम का समाधान करने के लिए तैयार किए गए हैं ; और

(ग) प्रबंधन के प्रति किए गए कपट के बारे में ससूचना।

17.3 प्रलेखन यह सिद्ध करने में भी समर्थ होना चाहिए कि लेखापरीक्षा कार्मिकों ने अपने प्रकार्य समुचित सावधानी तथा सम्यक कर्मिष्ठता के साथ पूरे किए हैं और उन्हें इस योग्य होना चाहिए कि वे कार्य प्रक्रियाओं और कार्यशील कागजाती का पुनरीक्षण कर सकें।

18. पर्यवेक्षण एवं समीक्षा

लेखापरीक्षा कार्मिकों के कार्य का पर्यवेक्षण एवं समीक्षा समय-समय पर जारी किए गए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अनुदेशों तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की जाएगी।

19. प्रतिवेदन

प्रारम्भिक प्रतिवेदन

19.1 संदिग्ध/अनुमानित कपट/भ्रष्टाचार के प्रत्येक मामलों की रिपोर्टें प्रथमतः गोपनीय रूप से, गुप्त अधिकारियों के अनुमोदन से, संबंधित नियंत्रण प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए जो मामले महत्वपूर्ण और गम्भीर समझे जाते हैं, उनकी प्रतियां साथ-साथ गोपनीय रूप से उच्चतर प्राधिकारी को भेजी जा सकती हैं। लेखापरीक्षा आधारित नियंत्रण अधिकारी के मामले में, रिपोर्ट (संबंधित मुख्य नियंत्रण अधिकारी को एक प्रति के साथ) संबंधित नियंत्रण अधिकारी को गोपनीय रूप से भेजी जा सकती है, जबकि आहरण और वितरण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा के मामले में रिपोर्ट गोपनीय रूप से (संबंधित नियंत्रण अधिकारी को एक प्रति सहित) संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

19.2 ऐसी स्थितियों/घटनाओं, जो कपट/अनुमानित कपट की सूचक हो सकती हैं, निरीक्षण रिपोर्ट में विस्तृत जांच और जिम्मेदारी के लिए कार्यपालक के बारे में रिपोर्ट में स्पष्टतः दर्शाया जाना चाहिए साथ ही सिफारिश करनी चाहिए।

19.3 लेखापरीक्षा पार्टी की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा का विस्तार, मुख्य निष्कर्ष, कुल संबद्ध राशि, संदिग्ध कपट अथवा नियमितता की कार्यप्रणाली, उसके लिए जिम्मेदारी और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के लिए सुधार की सिफारिश, कपट की रोकथाम (प्रणालियों तथा क्रियाविधियों में परिवर्तनों सहित) कपट/गम्भीर वित्तीय अनियमितता की पुनरावृत्ति के रक्षापाय उपदर्शिता करने चाहिए।

19.4 संपरीक्षित संस्था के प्रबंधन को रिपोर्ट देने के अतिरिक्त, कपट और भ्रष्टाचार के महत्वपूर्ण मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के मामले में राज्य सतर्कता आयोग/लोक आयुक्त इत्यादि जैसे विनिर्दिष्ट जांच अभिकरण को पृथक गोपनीय पत्रों के माध्यम से प्रतिवेदित किए जा सकते हैं, राज्य सरकार के मामले में महालेखाकार के अनुमोदन से अथवा उसकी ओर से, मामलों की गम्भीरता पर निर्भर करते हुए मामले प्रतिवेदित (रिपोर्ट) किए जा सकते हैं। इस संबंध में (आगे) अनुच्छेद 19.8 से 19.11 के उपबंध भी देखे जा सकते हैं।

वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा राय की अर्हता

19.5 वित्तीय लेखापरीक्षा के मामले में संभावित कपट और भ्रष्टाचार की घटनाओं पर वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा की राय बनना आवश्यक होती है, जो लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के महत्त्व पर निर्भर हो सकती है। अन्य मामलों में, वे एक विशेष पत्र में, अथवा नियमित निरीक्षण रिपोर्टों में परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, किए जा सकते हैं।

19.6 जब लेखापरीक्षक की राय में वित्तीय विवरणों में कपटपूर्ण आर्थिक लेनदेन होते हैं अथवा ऐसे लेनदेन को उपयुक्त साथ से दर्शाया नहीं गया है, अथवा लेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा उसे इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि कपट और/अथवा भ्रष्टाचार के दृष्टान्त हो चुके हैं और जब लेखापरीक्षक के पास उसके निष्कर्ष के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य हैं, तो उसे लेखापरीक्षा के प्रमाण पत्र/राय को सही ठहराना चाहिए और/अथवा सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निष्कर्ष उसकी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में पर्याप्त रूप से शामिल किए गए हैं। तथापि, शब्द कपट अथवा भ्रष्टाचार किसी निर्णायक अर्थ में तब तक प्रयोग नहीं किया जा सकता, जब तक कि ऐसी कार्रवाई किसी कानून के न्यायालय में सिद्ध नहीं हो जाती है।

कपट और भ्रष्टाचार से संबंधित प्रिटिंग मामले

19.7 संदिग्ध/अनुमानित कपट और भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों का निरीक्षण रिपोर्टों, लेखापरीक्षण टिप्पणियां इत्यादि में और लेखापरीक्षागत रिपोर्टों में भी दर्शाया जाना चाहिए। ऐसे सभी मामले सुस्पष्ट (अक्षरों में) मुद्रित किए जाने चाहिए।

जांच (करने वाले) अभिकरणों को प्रतिवेदन

19.8 महालेखाकारों, लेखापरीक्षण के प्रधान निदेशकों इत्यादि को उनके कार्यालयों के विभिन्न खंडों से संबंधित निरीक्षण रिपोर्टों, लेखापरीक्षा टिप्पणियों इत्यादि में अंतर्विष्ट लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का त्रैमासिक पुनरीक्षण करना चाहिए और संदिग्ध कपट अथवा भ्रष्टाचार के विनिर्दिष्ट महत्वपूर्ण मामले प्रस्तुत करने चाहिए।

19.9 लेखापरीक्षा रिपोर्टों की बांड प्रति मुख्यालयों को अग्रेषित करते समय, महालेखाकार, लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशकों को बांड प्रति में शामिल संबंधित अनुच्छेदों के धन मूल्य के साथ संदिग्ध कपट और भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या की विशिष्टता अग्रेषण पत्र में बतानी चाहिए। ऐसे सभी मामलों पर महालेखाकार द्वारा समुचित सतर्कता अथवा जांच प्राधिकारियों के साथ बांड प्रति के अनुमोदन के तत्काल बाद बातचीत की जानी चाहिए, चाहे ये मामले उन्हें पूर्वतम में प्रतिवेदित किए गए थे। ऐसे मामले सतर्कता अथवा जांच प्राधिकारियों, जैसे कि केंद्रीय जांच ब्यूरो, केन्द्रीय अथवा राज्य सतर्कता आयोगों लोकायुक्त इत्यादि को गोपनीय पत्रों के माध्यम से, पूर्व पत्राचार का संदर्भ, यदि कोई है, आकर्षित करते हुए और इस अतिरिक्त जानकारी के साथ कि ये मामले संसद/राज्य विधानमंडल को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। ऐसे मामलों को अग्रेषित करते समय, महालेखाकार/प्रधान निदेशक को भी ऐसे मामलों का एक संक्षिप्त प्रशासत्मक विवरण (राइट-अप) व्यक्तियों फर्मों के नाम और पते इत्यादि के विवरण और क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध किसी अन्य आवश्यक जानकारी, जिसका उल्लेख हमारी प्रतिवेदन नीति के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में नहीं किया गया है, के साथ भेजना चाहिए। संप्रेषणों में यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए, कि मामला संसद/विधान मंडल के नोटिस में लाने के लेखापरीक्षा के आशय की दृष्टि से, मामले के बारे में सर्वथा गोपनीयता रखी जानी चाहिए जिसमें कि संसद/विधान मंडल के विशेषाधिकार के उल्लंघन की किसी भी संभावना से बचा जा सके।

19.10 सतर्कता अथवा जांच प्राधिकारियों के लिए संप्रेषणों में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि लेखापरीक्षागत साक्ष्य संपरीक्षित संस्था के मूल दस्तावेजों से प्राप्त किया जाता है। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि लेखापरीक्षागत निष्कर्ष किए गए जांच परीक्षण

और संपरीक्षित संस्था से प्राप्त जानकारी तथा रिकॉर्ड पर आधारित हैं। जांच अभिकरण को हमारी ओर से दी गई जानकारी का प्रयोग एक उदाहरण के रूप में करना चाहिए और प्राथमिक/मूल रिकॉर्ड, जो संपरीक्षित संस्था/विभाग में उपलब्ध हैं, की स्वयं अपनी जांच करनी चाहिए।

19.11 सतर्कता अथवा जांचकर्ता प्राधिकारियों को प्रतिवेदन बांड प्रति के अनुमोदन के बाद पूरा किया जा सकता है और मुद्रित लेखापरीक्षागत रिपोर्टों की उपलब्धता की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जबकि, राज्य सरकारी और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित लेखापरीक्षागत रिपोर्टों के लिए संबंधित महालेखाकार नोडल अधिकारी होगा, वही केन्द्र सरकार से संबंधित लेखापरीक्षागत रिपोर्टों के लिए, संबंधित एडीएआई। डीएआई के आदेशों के तहत संबंधित रिपोर्टों नियंत्रणों खंडों द्वारा रिपोर्टें भेजी जा सकती हैं।

19.12 बांड प्रति नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत की जाने के नोट में प्रारूप रिपोर्ट में शामिल किए गए कपट और भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या का उल्लेख संबंधित अनुच्छेदों के धन मूल्य के साथ किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री को लेखापरीक्षोत्तर रिपोर्ट का पत्र

19.13 मुख्यमंत्रियों को वार्षिक लेखापरीक्षोत्तर रिपोर्ट पत्र के प्रारूप में वहां, कपट और भ्रष्टाचार से संबंधित विषयों का एक संक्षिप्त उल्लेख अंतर्विष्ट होना चाहिए, जहां ऐसे मामले लेखापरीक्षा रिपोर्टों में दिखाई पड़ते हैं। क्षेत्रीय महालेखाकारों को कपट/भ्रष्टाचार से संबंधित अनुच्छेदों की निगरानी करने के लिए एक सिस्टम तैयार करना चाहिए और इसका एक संक्षिप्त उल्लेख मुख्यमंत्रियों को वार्षिक लेखापरीक्षोत्तर रिपोर्टों पत्रों में करना चाहिए। ऐसे पत्र राज्य विधान मंडलों में रिपोर्ट रखी जाने के तत्काल प्रस्तुत की जानी चाहिए।

20. अनुवर्ती कार्रवाई

20.1 क्षेत्रीय कार्यालय (कपट और भ्रष्टाचार के संभव संकेतकों सहित) लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए कपट और भ्रष्टाचार के मामले इस प्रयोजनार्थ रखे गए पृथक रजिस्ट्रों में दर्ज करने के लिए एक (उपाय) तंत्र संस्थापित करेंगे। ऐसे मामलों का अनुवर्तन संबंधित संपरीक्षित संस्था और उच्चतर कार्यपालक प्राधिकारियों के साथ जोरदार ढंग से किया जाना चाहिए और किसी नेमी ढंग से परिनिर्धारित नहीं किए जाने चाहिए। सभी

महत्वपूर्ण मामलों पर संबंधित प्रशासनिक विभाग के सचिव के साथ बातचीत की जानी चाहिए।

20.2 कपट और भ्रष्टाचार के प्रतिवेदित मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई में, लेखापरीक्षक को यह निश्चित करना चाहिए कि क्या उस अत्यावश्यकता, जिसकी मांग स्थिति करती है, सम्यक ध्यान रखने के साथ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और वह उन प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं से अवगत हैं, जो पश्चातवर्ती लेखापरीक्षा के माध्यम से वैधीकृत की जा सकती थी।

20.3 महालेखाकार (उन मामलों, जिनमें निरीक्षण रिपोर्टों, लेखापरीक्षा नोट इत्यादि पूरे विभाग में कपट का एक पैटर्न छोड़ते हैं), संबंधित प्रशासनिक विभागों के सचिवों को सदिग्ध कपट और भ्रष्टाचार के आवश्यक मामलों का विवरण बताते हुए वार्षिक गोपनीय पत्र भेजेगें।

20.4 यह नोट किया जाना चाहिए कि एक बार जब कोई मामला जांचकर्ता अथवा सतर्कता अभिकरणों को भेज दिया गया है, तब लेखापरीक्षा की जिम्मेदारी और कार्यक्षेत्र वर्तमान अनुदेशों के अनुसार उनके द्वारा मांग गई जानकारी और सहायता उपलब्ध कराना है। तथापि, मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई जांचकर्ता अथवा सतर्कता अभिकरणों के साथ औपचारिक बैठकों में विचारविमर्श के जरिए की जानी चाहिए।

21. अतिरिक्त अनुदेश

ज्ञापन/आश्वासन का प्रमाण-पत्र लेखापरीक्षा पक्षकार से प्राप्त किया जाएगा।

21.1 महालेखाकार लेखापरीक्षा पक्षकार से एक ज्ञापन आश्वासन का प्रमाण-पत्र प्रदान करने की अपेक्षा कर सकता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कपट और भ्रष्टाचार से संबंधित विषयों की जांच, और इस स्थायी आदेश के उपलब्धों का अनुपालन तथा विस्तृत प्रलेखन द्वारा समर्थित महालेखाकार द्वारा अन्य लागू अनुदेश शामिल हैं।

आंकड़ा आधार (डाटाबेस)

21.2 प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को कपट अथवा भ्रष्टाचार संबंधी लेखापरीक्षागत विषयों का एक आंकड़ा आधार (डाटाबेस) लाल पताका मर्दों की पहचान करने के लिए पूरे क्रियात्मक गुणों से एक संबंध बनाने के लिए स्थापित करना चाहिए। लेखापरीक्षा जांच के तरीके में परिवर्तन की आवश्यकता केवल धन के मूल्य का उल्लेख करने के लिए नहीं

बल्कि अधिक विस्तार से सिस्टम की अपूर्णता स्पष्ट करने के लिए है। लाल पताकागत मदों के माध्यम से धन के मूल्य पर ध्यान दिए बिना आंतरिक नियंत्रण की विफलता और आशय स्पष्ट करना चाहिए। आंकड़ा आधार (डाटाबेस) की महालेखाकार द्वारा प्रत्येक तिमाही पर आगामी रणनीति और क्षेत्रीय लेखापरीक्षा पक्षकारों को निर्देशों के लिए पारदर्शी रूप से समीक्षा की जानी चाहिए।

आपत्ति बही

21.3 कपट अथवा भ्रष्टाचार इत्यादि के मामले दुर्विनियोग, गबन इत्यादि के मामलों के साथ, किसी आपत्ति बही में, समय-समय यथा संशोधित स्थायी आदेशों (लेखापरीक्षा) की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की नियमपुस्तक में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार दर्ज भी किए जाने चाहिए।

कार्य कुशलता में वृद्धि

21.4 क्षेत्रीय कार्यालयों को कपट और भ्रष्टाचार के मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए कुशलता संबंधी एक पर्याप्त वस्तु सूची रखनी चाहिए और इस प्रयोजनार्थ, अपने पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों/संस्थानों में करनी चाहिए।

क्षेत्र विनिर्दिष्ट दिशानिर्देश/जांच सूचियां तैयार करना

21.5 महालेखाकारों को विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से संबंध रखने वाली संस्थाओं की लेखापरीक्षा में कपट और भ्रष्टाचार के मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट दिशा निर्देश/जांच सूचियां ऐसी लेखापरीक्षाओं में नियोजित क्षेत्र कर्मचारीवर्ग के मार्गदर्शनार्थ तैयार करनी चाहिए और ऐसे दिशानिर्देशों/जांच सूचियों की एक प्रति महानिदेशक (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत करनी चाहिए।

मुख्यालयों को प्रतिवेदन

21.6 क्षेत्रीय कार्यालयों को उनकी ओर से देखे गए संदिग्ध महत्वपूर्ण कपट और भ्रष्टाचार के मामलों पर अर्धवार्षिक रिपोर्ट मुख्यालयों के कार्यालय को भेजनी चाहिए।

21.7 प्रबंध सूचना प्रणाली की अग्रगामी औचित्य स्थापन प्रक्रिया की दृष्टि से अर्धवार्षिक रिपोर्टें इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जा सकती हैं अथवा स्थानीय इंटरनेट पर ऐसे ढंग से रखी जा सकती हैं जो प्रबंधन सूचना प्रणाली के पूरी होने पर विहित किया जा सकता है।

गबन और हानियों पर रिपोर्टों से संबंधित वर्तमान उपबंधों का जारी रहना।

21.8 सार्वजनिक धन अथवा सम्पत्ति के गबन अथवा हानि पर रिपोर्टों से संबंधित आदेश (लेखापरीक्षा) की नियमपुस्तक के वर्तमान उपलब्ध और उन पर की जाने वाली कार्रवाई प्रवर्तन में रहेगी।

माल और सेवाओं के लिए
अनुबंध करने में निदर्शी कपट और भ्रष्टाचार

घूसखोरी और पृष्ठवेतनांश अदायगी- कुछ लाभ, अर्थात्घटिया माल की स्वीकृति अथवा अप्राधिकृत जानकारी, प्राप्त करने के लिए किसी सार्वजनिक पदाधिकारी तथा सामान माल एवं सेवाओं के किसी प्रदाता के बीच धन अथवा पुरस्कार की किसी किस्म अथवा उपकार का विनिमय किया जाता है।

मूल अनुबंधों में परिवर्तन- ठेकेदार अथवा आपूर्तिकर्ता को सरकार से अतिरिक्त निधियों के प्रवाह की अपेक्षा वाले उस मूल अनुबंध में परिवर्तन किए जाते हैं, जो उस आधार को प्रभावित कर सकता है, जिस पर प्रथमतः ठेकेदार अथवा आपूर्तिकर्ता को अनुबंध प्रदान किया गया था। इससे अनुबंध का फ्रंट लोडिंग परिवर्तन के आदेशों अथवा अनुबंध में पश्चातवर्ती आशोधनों के जरिए मूल अनुबंध का मूल्य बढ़ने की आशा में संबंध हो सकता है।

दोहरा भुगतान- ठेकेदार अथवा आपूर्तिकर्ता उसी सेवा अथवा किए गए कार्य के अथवा उसी अथवा विभिन्न अनुबंधों के अधीन आपूरित सामान लम्बे के लिए दावा करता है और भुगतान प्राप्त करता है।

कपटपूर्ण अथवा कार्टेल बोली: राजनीतिक संघ से ठेकेदार अथवा आपूर्तिकर्ता उनके द्वारा आपूरित सामान (माल) तथा सेवाओं के लिए कृत्रिम रूप से उच्च मूल्य नियत करते हैं।

हित का संघर्ष: अनुबंध निर्णय लेने वालों के निहित स्वार्थों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

दोषपूर्ण मूल्यन: ठेकेदार अथवा आपूर्तिकर्ता स्फीत बीजक प्रस्तुत करते हैं।

मिथ्या बीजक: ठेकेदार अथवा आपूर्तिकर्ता उस सामान (माल) के लिए बीजक प्रस्तुत करता है, जो सुपुदि नहीं किया गया है, अथवा आपूरित सामान (माल) की प्रमात्रा और सेवाओं की तथा किए कार्य की गुणवत्ता उचित रूप से संविदागत विनिर्देशनों के अनुसार नहीं होती है।

मिथ्या अश्यावेदन: ठेकेदार सामान (माल) के विनिर्देशनों अथवा कतिपय सेवाएं प्रदान करने में उसकी योग्यता का अयथार्त रूप प्रस्तुत करता है।

खरीद-दारियों को बिखंडित करना: सामान (माल) और सेवाएं या तो खुली प्रतियोगिता से बचने अथवा उच्च प्राधिकारी का अनुमोदन मांगने के लिए बिखंडित की जाती है।

अवास्तविक ठेकेदार: खरीद दारियां किसी नकली आपूर्तिकर्ता अथवा ठेकेदार से की जाती हैं।

सार्वजनिक आस्तियों की चोरी: सार्वजनिक निधियां व्यक्तिगत प्रयोगार्थ सामान (माल) प्रदाधिकारियों द्वारा चुराई गई सार्वजनिक आस्तियां अर्जित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है।

अनुकूल विनिर्देशन: विनिर्देशन और समय सीमा में कतिपय ठेकेदार अथवा आपूर्तिकर्ता के पक्ष में चालाकी की जाती है।

आपूर्ति उपदेश: जरूरत से ज्यादा का आदेश अथवा आवश्यकता/जरूरत को सिद्ध किए बिना और वास्तविक आवश्यकता पड़ने से समय पहले आदेश देना।

संभव कपट और भ्रष्टाचार के लिए कुछ (लालपता का) संकेतन (निदर्शी)

सामान (माल) और सेवाओं का प्रापण तथा अनुबंध करना:

आवश्यकताओं को परिभाषित करने वाली अवस्था:

- अपर्याप्त जरूरतों का विश्लेषण;
- संभावित आपूर्तिकर्ताओं के बारे में अपर्याप्त करना ;
- वर्तमान और अपेक्षित वास्तुसूची का अपर्याप्त पुनरीक्षण ;
- अनुचित रूप से कम आपूर्ति अवधि ;
- पूर्वाभिमुख जरूरतें नहीं बल्कि जरूरतों का विश्लेषण उत्पाद हैं ;
- प्रयोक्ता की अपेक्षा कोई अन्य प्रयोक्ता भी अपेक्षाओं कि परिभाषा करता है ; और
- वरिष्ठ पदाधिकारियों का अप्राधिकृत आवेष्टन।

बोली और चयन अवस्था:

- विनिर्देशन स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं ;
- प्रस्तावों की बहुत ही सीमित संख्या प्राप्त होती है ;
- प्रलेखन किसी पदाधिकारी का साधारण आवेष्टन उपदर्शित करता है ;
- हितों के संघर्ष के बारे में संदेह ;
- कुछ ठेकेदारों अथवा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सूचना की शीघ्र प्राप्ति का साक्ष्य ;
- प्रस्ताव के लिए अनुरोध उचित रूप से विज्ञापित नहीं किया जाता है ;
- बोली प्रक्रिया या सामान्य प्रहस्तन ;
- विभिन्न प्रस्तावकों के लिए मूल्यांकन मानदंड सुसंग्रह नहीं होता है ;
- निविदा की अंतिम तारीख के लिए अपवाद ;
- बोलियों की औपचारिक प्राप्ति के बाद उनमें किए गए परिवर्तन ;
- सबसे कम बोली देने वाला नहीं चुना जाता है ;

- ठेकेदार अथवा आपूर्तिकर्ता संघर्ष अथवा बोली-आवर्तन बताते हुए अयथार्थ बोली प्रस्तुत करता है ;
- बोलियों की साधारण वापसी ;
- फिर से बोली देने का मूल बोलियों के लिए समरूप परिणाम निकलता है ;
- सकल ठेकेदार अथवा आपूर्तिकर्ता प्रतियोगियों का इस्तेमाल उप-ठेकेदारों अथवा उप-आपूर्तिकर्ताओं के रूप में करते हैं ; और
- एकल स्रोत प्रापण के लिए औचित्य अपर्याप्त है, इत्यादि।

अनुबंध निष्पादन और मूल्यांकन अवस्था:

- किसी अनुबंध में परिवर्तनों का परिणाम सामान (माल) और सेवाओं की लागत में भारी वृद्धि होता है।
- पर्याप्त स्पष्टीकरणों के बिना किए गए परिवर्तन ;
- अनुबंध का अप्राधिकृत विस्तार ;
- सामान (माल) और सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई ;
- सामान और सेवाओं के अपर्याप्त निरीक्षणों तथा गुणवत्ता आश्वासन प्राप्त हुआ ;
- अतिप्रमरण और दोहरे बिल तैयार करने का साक्ष्य ;
- संदिग्ध बीजक ;
- ठेकेदार के भुगतान की पूर्व लेखापरीक्षा अपर्याप्त ;
- एक ही ठेकेदार को बार-बार अनुबंध दिए जाना ; और
- अनुचित रूप से अधिक मजदूरी का भुगतान।

लेखांकन अभिलेख:

- गुम हुए बाउचर ;
- मूल दस्तावेजों की बजाए उनकी फोटो प्रतियां प्रस्तुत करना ;
- लेखांकन रिकार्ड में परिवर्तन तथा विलोपन ;
- कोई भी साधारण लेखांकन प्रविष्टियां ;

- नियंत्रण लेखा तथा गौण रिकॉर्ड के बीच विसंगतियां ;
- विश्लेषणात्मक पुनरीक्षण प्रक्रियाओं के दौरान भावी आंकड़ों तथा वास्तविक आंकड़ों के बीच विसंगतियां, और
- संवदेन शील पदों पर कर्मचारी छुट्टी नहीं ले रहे इत्यादि।

निष्पादन सूचना:

- मूल दस्तावेजों और अनुप्रवाह आंकड़ों से असमर्पित सामान (माल)/सेवाओं की सुपुर्दगी, आस्ति निर्माण इत्यादि के बारे में निष्पादन सूचना ;
- वास्तविक मापन, उपस्थिति पंजी, निरीक्षण नोट्स गुणवत्ता की रिपोर्टों इत्यादि द्वारा असंमर्थित सैद्धान्तिक परिकलन ;
- आधारिक रिकॉर्ड अर्थात् आस्तिरजिस्टर उपस्थिति पंजी, मापन बही (मेजरमेट बुक), इत्यादि का प्रस्तुत नहीं किया जाना ;
- सरकारी खाते में व्यय तथा प्राप्तियों के पारदर्शी प्रमाण की अनुपलब्धता ; और
- योजना/कार्य की प्रगति के बारे में वित्तीय तथा वास्तविक जानकारी के बीच असंगति।

नोट: ये केवल निदर्शी उदाहरण हैं। महालेखाकार कृपया विभिन्न विभागों/क्षेत्रों की लेखापरीक्षा में लाल पताका मदों की एक व्यापक सूची तैयार कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए क्रियाविधि स्थापित करें कि ऐसी मदों की गिनती लेखापरीक्षाओं के नियोजन, पारदर्शी रूप से प्रलेखित के समय की जाती है तथा ऐसी सभी मदों का समाधान और उनके प्रतिपादन दर्ज किया और रोक लिया जाता है।

सामान्य वित्तीय नियमों, 2005 के उपबंधों से उद्धरण:

नियम 33: हानियों की रिपोर्ट

- (1) सार्वजनिक धन, विभागीय राजस्व अथवा प्राप्तियां, स्टॉप, अफीम, स्टोर्स अथवा सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से रखी गई अन्य सम्पत्ति की कोई हानि, कमी, हानि के और उसे पकड़ने के कारण पर ध्यान दिए बिना, संबंधित अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षा अधिकारी के अतिरिक्त प्रधान लेखा अधिकारी को तत्काल प्रतिवेदन की जाएगी, तब भी, यदि ऐसी हानि उस पक्षकार द्वारा सूची पूरी की जा चुकी है, जो इसके लिए जिम्मेदार है। तथापि, निम्नलिखित हानियां प्रतिवेदन की जानी आवश्यक नहीं हैं:-
 - (i) निम्नलिखित के कारण राजस्व की हानियों से संबंधित मामले:
 - (क) निर्धारण में ऐसी गलतियां, जिनका तत्व किए जा रहे किसी अनुपूरक दावे की अनुज्ञा देने के लिए बहुत देर से चलता है।
 - (ख) निर्धारणधीन जो कानून में विहित समय सीमा के समाप्ति के बाद उच्च प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जा रहा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कानून की व्याख्या के कारण से हैं।
 - (ग) इस आधार पर स्वीकृत प्रतिदाय कि दावे कालातीत थे।
 - (ii) दो हजार रूपए से अनाधिक के मूल्य की नगण्य हानियां।
- (2) गम्भीर अनियमितताओं से संबंधित मामले वित्तीय सलाहकार अथवा संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग के लेखांकन प्राधिकारी और वित्त मंत्रालय के लेखा के महानियंत्रक के नोटिस में लाए जाएंगे।
- (3) उपनियम (1) एवं (2) में अपेक्षित हानि की रिपोर्ट दो अवस्थाओं में की जाएगी:-
 - (i) जैसे ही ऐसा संदेह पैदा होता है कि कोई हानि हुई है, तभी एक प्रारम्भिक रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।

- (ii) हानि कैसी और कितनी हुई, जिन कारणों से हानि हुई है उन कारणों से नियमों की उपेक्षा अथवा त्रुटियां और वसूली की संभावनाएं बताते हुए, जांच के बाद उप नियम (1) एवं (2) में उपदर्शित प्राधिकारियों को अंतिम रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए।
- (4) उप नियम 3 में अपेक्षित पूर्ण रिपोर्ट विभागाध्यक्ष को उचित माध्यम से पहुंचेगी जो उसे 1978 के वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के तहत प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन अंतिम रूप से निपटाएगा। जिन रिपोर्टों का वह प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन अंतिम रूप से निपटान नहीं कर सकता है वे रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी।
- (5) दुर्विनियोजन खयानत, गबन इत्यादि के जरिए गुम हुई कोई राशि जांच के लम्बित रहते, किसी साधारण रसीद पर फिर से आहरित की जा सकती है, उसकी वसूली अथवा उसे बढ़ा खाते में प्रश्नगत हानि को बढ़ा खाता डालने के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से डाला जा सकता है।
- (6) सरकारी सेवकों की सदोषता के कारण सरकार को हानि के मामलों में हानि केन्द्र सरकार के विभाग अथवा लेनदेन से संबंधित राज्य सरकार को वहन करनी चाहिए। इसी प्रकार से नकद, रूप में कोई वसूली दोषी सरकारी पदाधिकारी से की जाती है तब, प्राप्ति केन्द्र सरकार के विभाग अथवा उस राज्य सरकार के खाते में जमा की जाएगी, जिसे हानि हुई थी।
- (7) गलत अथवा अनियमित चैक जारी करने अथवा प्राप्तियों की अनियमित गिनती करने से उत्पन्न सरकारी धन की हानि से संबद्ध सभी मामले लेखा के महानियंत्रक को, हानि की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों के साथ, प्रतिवेदिन किए जाएंगे जिससे कि वह उससे संबंधित नियमों अथवा क्रियाविधियों, यदि कोई हैं में दोष निवारण के लिए कदम उठा सकें।

नियम 34 आग, चोरी, कपट के कारण सरकारी संपत्ति की हानि:

विभागीय अधिकारी नियम 33 में यथाविहित कार्रवाई करने के अतिरिक्त, आग, चोरी, कपट इत्यादि के परिणामस्वरूप सरकारी संपत्ति को कोई आर्थिक हानि अथवा नष्ट होने से संबद्धित मामलों में नीचे निर्दिष्ट उपबंधों का पालन करेंगे।

संदिग्ध रूप से लगी आग, चोरी, कपट इत्यादि के कारण दस हजार रूपए मूल्य से अधिक की सभी हानियों के संबंध में निश्चित रूप से पुलिस को यथा संभव शीघ्र जांच के लिए रिपोर्ट की जाएगी।

पुलिस प्राधिकारियों को एक बार मामलों की रिपोर्ट किया जाने पर, सभी संबंधितों द्वारा पुलिस को उनकी जांच में सहायता की जानी चाहिए। सभी पुलिस प्राधिकारियों को भेजे जाने वाले सभी मामलों की सामान्य जांच रिपोर्ट उनसे प्राप्त की जानी चाहिए।

नियम:37 हानियों के लिए जिम्मेदारी: वह अधिकारी जिसकी ओर से लापरवाही अथवा कपट के कारण सरकार को हानि हुई है वह उस हानि के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, उसे किसी अन्य अधिकारी की लापरवाही अथवा कपट के कारण हुई किसी हानि के लिए इसे व्यक्तिगत रूप से उस सीमा तक जिम्मेदार ठहराया जाएगा जहां तक यह दर्शाया जाता है कि उसकी स्वयं की कार्रवाई अथवा लापरवाही से हानि में उसका योगदान हुआ था।

हानि के लिए जिम्मेदारी के निर्धारणार्थ विभागीय कार्यवाहियां परिशिष्ट-1 में दी गई हैं और समय-समय कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार की जाएंगी।

नियम 38: हानि के मामलों का त्वरित निपटान

अपराधियों पर कार्रवाई करने सहित हानियों के मामलों में पता लगाने, रिपोर्ट करने, बड़ा खाता डालने, अंतिम निपटान की प्रत्येक अवस्था में कार्रवाई करनी चाहिए तथा नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए निवारक उपायों तथा अपराधियों के लिए कार्रवाई पर विशेष ध्यान देने के साथ निवारक उपाए तत्काल पूरे किए जाने चाहिए।

नोट:- पूर्ववर्ती सामान्य वित्तीय नियमों में तदनुसूची उपलब्ध नियम 16,17, 18, 19 और 21 हैं। जिन्हें सुसंगत मामलों में अनुपालनार्थ देखा जाना चाहिए।

(नियम-37 देखें)

हानियों, इत्यादि, की जिम्मेदारी का प्रवर्तन विनियमित करने के लिए अनुदेश

1. जिम्मेदारी का निर्धारण अमिशासित करने का मूलभूत सिद्धान्त है कि प्रत्येक सरकारी अधिकारी को लोक निधि से व्यय के संबंध में उसी सतर्कता का प्रयोग करना चाहिए, जो सामान्य रूप से साधारण बुद्धमानी व्यक्ति व्यय के और स्वयं अपने धन की अभिरक्षा के संबंध में प्रयोग करेगा। जबकि सक्षम प्राधिकारी, विशेष मामलों में किसी अधिकारी के वित्तीय हानि से संबद्ध निर्णय की ईमानदार त्रुटियों को माफ कर सकता है, यदि वह अधिकारी यह दर्शाता है कि उसने नेकनीयती से कार्य किया है, और अपनी सर्वोत्तम योग्यता तथा अनुभव की सीमा तक किया है, ऐसे सभी अधिकारियों के लिए व्यक्तिगत देनदारी सर्वथा प्रवर्तित की जाएगी, जो बेईमान, लापरवाह अथवा उनको सौंपे गए कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा करते हैं।
2. जिन मामलों में हानि अधीनस्थ पदाधिकारियों के अपराधों के कारण हुई है, और जिनमें यह प्रतीत होता है कि यह किसी प्रवर अधिकारी की ओर पर्यवेक्षण में ढील देने के कारण हुई ऐसे मामलों में सर्वथा उसकी भी पूर्णतः जवाबदेही होगी और उसकी इस मामले में व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।
3. (क) अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ-साथ अधिकारी की आर्थिक देनदारी के प्रश्न पर भी हमेशा विचार किया जाएगा किसी भी अधिकारी की देनदारी की कोटि का विनिश्चय करने में न केवल उस मामले की परिस्थितियों पर, अपितु उस अधिकारी की वित्तीय परिस्थितियों पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा, क्योंकि यह माना जाना चाहिए कि दंड ऐसा न हो कि उसकी भावी कार्य कुशलता पर धूल मिसर डाले सके।
(ख) विशेषतः यदि हानि कपट के माध्यम से हुई है तो हुई सम्पूर्ण हानि राशि अपराधी व्यक्तियों से वसूल करने का प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए और यदि पर्यवेक्षण में ढील के कारण कपट करना सुविधाजनक बना है, तब दोषी पर्यवेक्षण अधिकारी को या तो उससे राशि वसूल कर सीधे हानि पूरी करने की अपेक्षा की जाए अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उसकी वेतन वृद्धि रोक कर अथवा कम करके दंडित किया जाना चाहिए।
(ग) इस बात पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए कि क्या व्यक्तियों की लापरवाही से गुम, नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त सरकारी सम्पत्ति अथवा उपकरण की मूल्यहासित राशि

अपराधी पदाधिकारियों से वसूल की जानी चाहिए। सामान का घटा मूल्य वाहनों के मामले में 20% का मूल्यहास लागू करके परिकल्पित किया जाना चाहिए और परिकलन मशीनों के मामले में प्रतिवर्ष घटते शेष पर, 15% का मूल्यहास किया जाना चाहिए वसूल की जानी वाली राशि सरकारी सेवक की भुगतान क्षमता तक सीमित होनी चाहिए।

4. जब कोई पेंशन योग्य सरकारी सेवक किसी अनियमितता अथवा हानि से संबंधित होता है, तब मामले की जांच करने वाला प्राधिकारी समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 1972 में अंतर्विष्ट उपबंधों को ध्यान में रखेगा तथा तत्काल लेखापरीक्षा अधिकारी और/अथवा यथा स्थिति पेंशन अथवा मृत्यु एवं सेवानिवृत्तिगत उपदान (ग्रेच्युटी) के लिए अपने हक पर प्रतिवेदित करने जिम्मेदारी लेखाअधिकारी को और पेंशन अथवा मृत्यु एवं सेवानिवृत्तिगत उपदान मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा और यह परवर्ती का कर्तव्य कि वह इस सूचना को नोट करे और देखे कि उपदान अथवा मृत्यु एवं सेवानिवृत्तिगत उपदान का भुगतान सरकारी सेवक की सदोषता के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से और उस पर अंतिम आदेश जारी किए जाने से पहले नहीं किया जाता है।
5. यह तथ्य कि सरकारी सेवक, जो कपट अथवा अनियमितताओं के लिए दोषी थे वे विघटित किए जा चुके हैं अथवा सेवानिवृत्त हो गए हैं और इस प्रकार सजा के बच गए हैं तो उन्हें ऐसे अधिकारियों का निरपराधी ठहराने के लिए कोई औचित्य नहीं बनाया जाना चाहिए जो दोषी भी है, और अभी भी सेवा में बने हुए हैं
6. कपट, लापरवाही, वित्तीय अनियमितता इत्यादि के कारण किसी हानि की जांच में विलम्ब से बचना अत्याधिक महत्व की बात है। यह लेखापरीक्षा अधिकारी और लेखा अधिकारी में यथा स्थिति की जांच के अनुसरण में प्रशासनिक प्राधिकारी की सहायता की आवश्यकता है तो प्रशासनिक प्राधिकारी वाउचरों और दस्तावेजों जो जांच के लिए सुसंगत हो सकते हैं के लिए, भेट मांग कर सकता है, और यदि जांच जटिल है, और उसे इसे सुलझाने के लिए किसी विशेषज्ञ लेखापरीक्षा अधिकारी/ लेखा अधिकारी की सहायता की जरूरत है, तो उसे उस सहायता हेतु तत्काल सरकार को आवेदन देना चाहिए। तब सरकार लेखापरीक्षा अधिकारी अथवा संबंधित लेखा अधिकारी के साथ जांच कर्मचारी वर्ग की सेवाओं के लिए बातचीत करेगी। उसके बाद, प्रशासनिक प्राधिकारी और लेखापरीक्षा/लेखा प्राधिकारी अपने संबंधित क्षेत्रों में शीघ्रता पूर्वक जांच करवाने के लिए

स्वयं जिम्मेदार होंगे। यदि किसी मामले में न्यायिक कार्यवाहियों की जरूरत प्रतीत होती है तो विशेष पुलिस संगठन अथवा राज्य पुलिस की जांच में सहायता ली जानी चाहिए।

7. पूछताछ के परिवर्तन के आधार पर संबंधित अपराधी पदाधिकारियों के लिए विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां और/अथवा अभियोजन सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमों तथा इस बारे में सरकार द्वारा विहित अन्य अनुदेशों का पूर्णतः पालन किया जाएगा।